

**सूचना का अधिकार
(अधिनियम-2005 के अध्याय 2 की
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत
मैनुअल संख्या 5)**



**निदेशालय, विभागीय लेखा,
उत्तराखण्ड
23 - लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून**

मैनुअल-5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सारांश

विस्तार-अध्याय-1

भौगोलिक- इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत में है (जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा अपना सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2004 पारित किया गया है)

अधिकारिता- इसके अन्तर्गत ऐसे लोक प्राधिकार जो कि केन्द्रीय सरकार या संघ या राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित (जिनमें पंचायत नगर निगम तथा अन्य स्थानिक निकाय शामिल हैं) सम्मिलित होंगे कोई ऐसा निकाय जो उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों के स्वामित्व नियंत्राधीन अथवा उसके द्वारा मुख्यतया वित्तपोषित हो शामिल होगा। यह कानून सभी गैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होगा जो कि उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया वित्तपोषित हों।

अन्य निकाय- निजी संगठन अथवा निकाय जिनकी सूचना किसी प्रवृत्त विधि के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में हों, पर यह भी अधिनियम लागू होगा।

प्रवृत्त धारा-

इसके अंधिकाश उपबन्ध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन प्रवृत्त होंगे। कुछ उपबन्ध जैसे सूचना प्रकटीकरण का तात्कालिक दायित्व, लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा केन्द्र एवं राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 तत्काल प्रभाव से निरसित किया जायेगा।

सूचना के अधिकार का तात्पर्य धारा-2

- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार
- इलैक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना प्राप्त करने का अधिकार
- ऐसी सूचना का अधिकार जिसका प्रकटीकरण जनहित में हो।

सूचना कितनी पुरानी धारा-8

कुछ अपवादों को छोड़कर किसी घटना या वृत्तान्त या विषय से सम्बन्धित सूचना जो अनुरोध किये जाने की तारीख से 20 वर्ष पूर्व तक की हो, मांगी जा सकती है।

1. सूचना जो कि भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित तथा विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
2. सूचना जिससे कि किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है।
3. सूचना, जिससे प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।
4. सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को जनहित में नुकसान होता है।
5. सूचना जो किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध है। यदि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित निहित हैं तो इस सूचना के प्रकटन, का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. सूचना जो कि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो।
7. यदि सूचना के प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता हो।

8. किसी सूचना के स्रोत अथवा सहायक स्रोत से सम्बन्धित सूचना जो कि विधि के लागू किये जाने या सुरक्षा कारणों से उपलब्ध करायी गयी हो।
9. यदि सूचना के प्रकट करने से अन्वेषण या अभियोजन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती हो।
10. मंत्रिमण्डल के कागज पत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं। (परन्तु मंत्रि परिषद के निर्णय तथा उनके कारण निर्णय होने के पश्चात सावर्जनिक किये जाने हैं)
11. व्यक्तिगत या निजी सूचना-जो व्यापक जनहित में हो का निर्णय लोकसूचना अधिकारी द्वारा किया जाना।

आंशिक प्रकटीकरण धारा-10

अभिलेख के उस भाग तक आंशिक पहुंच अनुदत्त की जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अर्न्तदिष्ट नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।

कौन सी संस्थायें अपवर्जित हैं – धारा-24 व अनुसूची

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्थापित अभिसूचना और सुरक्षा संगठन जैसे कि अभिसूचना ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण खण्ड, राजस्व असूचना निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सीमान्त बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल, विशेष सेवा ब्यूरो इसी प्रकार की इकाईयां जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी हों भी शामिल होंगी। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में संस्थायें अधिसूचित की जायेगी।

सक्षम प्राधिकारी धारा-2

- केन्द्र में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष
- राज्य सभा के सभापति या विधान परिषद की दशा में उसका सभापति
- भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- राज्य के स्तर पर राष्ट्रपति
- राज्य के स्तर पर राज्यपाल

लोक प्राधिकारी: धारा-2

- संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद विधान मण्डलों द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी निकाय।

- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय।
- केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या मुख्यतया वित्तपोषित निकाय या संगठन।

तीसरा पक्षकार: धारा-2

सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति। इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी सम्मिलित है।

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन: धारा-5

1. संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य;
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
3. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित);
4. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम;
5. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना;
6. दस्तावेजों जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों के अनुसार विवरण;
7. नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना;
8. बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवत् तक जनता की पहुंच होगी;
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्ति मासिक पारिश्रमिक;
11. प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित);
12. अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;
13. रियासतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण;
14. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे;

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी है तो उसका भी विवरण;

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

17. अन्य कोई विषय जो निर्धारित किया जाय।

उपर्युक्त सभी प्रकाशन तत्काले प्रकाशित किये जायेंगे तथा किसी भी दशा में अधिनियम के एक सौ बीस दिन के भीतर प्रकाशन अनिवार्य है। इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अपडेट किया जायेगा।

लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य : धारा-4

1. स्वतः आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समुचित समय में कम्प्यूटरीकृत करके सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के मास की सूचना सुलभ करायेगा।

2. अपनी नीति बनाते समय और निर्णय की घोषणा के समय सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।

3. अपने प्रशासनिक या न्यायिकल्प निर्णयों के कारण उपलब्ध करायेगा।

किसी परियोजना को प्रारम्भ करने या किसी नीति या कार्ययोजना को तैयार करने या आम जनता के लिए कानून बनाने अथवा प्रभावित व्यक्ति को सामाग्री के तात्कालिक प्रकटन के लिए यह ध्यान में रखेगा कि यह प्रकटन स्थानीय भाषा और क्षेत्र में संसूचना की अत्यन्त प्रभावी पद्धति द्वारा हो। साथ ही लोक सूचना अधिकारी के पास इस प्रकार की सूचना यथा संभव इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों में भी उपलब्ध हो। समस्त सूचनार्ये निःशुल्क अथवा लागत मूल्य पर उपलब्ध करायी जाये।

लोक सूचना अधिकारी (पी0आई0ओ0): धारा-5

1. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से लोक सूचना अधिकारियों को नामित करेगा।

2. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से सहायक अथवा लोक प्राधिकारियों को उपखण्डों अथवा उप जिला खण्डों के स्तर पर अभिहित करेगा।

लोक सूचना अधिकारियों के कर्तव्य: धारा 7 व 11

1. वे व्यक्ति जो प्रार्थना-पत्र लिखने में असमर्थ हो पी0आई0ओ0 उनकी सहायता करेगा।

2. समय सीमा शुल्क तथा अपीलीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत करायेगा।
3. किसी को साधारणतया उसी रूप में सूचना उपलब्ध करायेगा जिसमें वह मांगी गई हो, जब तक वह उपलब्ध संसाधनों तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण की दृष्टि से असंभव न हो।
4. किसी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऐसी अस्वीकृति के कारणों को सूचित करेगा। साथ ही वह अवधि जिसके भीतर अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी और समुचित अपीलीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में संसूचित करेगा।
5. यदि सूचना जो कि प्रकट किये जाने हेतु आवेदित की गयी है जो कि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा प्रदान की गयी है अथवा तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है पी0आई0ओ0 ऐसे तीसरे पक्षकार को पांच दिन के भीतर लिखित सूचना देगा। तृतीय पक्षकार को लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नोटिस प्राप्त के 10 दिन के भीतर प्रत्यावेदन (मौखिक या लिखित) दिये जाने का अवसर दिया जायेगा। पी0आई0ओ0 तृतीय पक्षकार के पक्ष को विचार में लेने के पश्चात मूल आवेदक को सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

सूचना अभिप्राप्त के अनुरोध की प्रक्रिया: धारा-6

1. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह लिखित में या इलैक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्र की राजभाषा में आवेदन करेगा।
2. सूचना मांगे जाने का कारण विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
3. ऐसा शुल्क जो विहित हो, दें (यदि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा)

समय सीमा: धारा-7

1. इच्छित सूचना आवेदन करने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध होगी।

2. सूचना यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह अनुरोध प्राप्त के 48 घण्टेके भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3.
4. यदि तीसरे पक्षकार का हित निहित है तो सूचना देने की अवधि 40 दिन होगी (30 दिन का समय तथा तीसरे पक्षकार को प्रत्यावेदन के लिए दिया गया 10 दिन का समय)
5. यदि तीस दिन के अवधि तक प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही न हो तो वह अस्वीकृत की तरह मान लिया जायेगा।

शुल्क: धारा-7

1. विहित फीस युक्तियुक्त होगी।
2. यदि आगे और अधिक शुल्क (फीस) ली जाय तो उसका ब्यौरा लिखित में दिया जायेगा।
3. प्रार्थी पी0आई0ओ0 द्वारा अवधारित फीस के पुनर्विलोकन की अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है।
4. ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
5. यदि सूचना का प्रयुक्तर समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होता है तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।

पहुंच को अस्वीकृत करने के अन्य अधिकार: धारा-9

सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है जहां पहुंच उपलब्ध करवाने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्वर्तित है।

अपीलीय प्राधिकारी: धारा-16

1. आन्तरिक अपील (प्रथम अपील)- ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी से प्रथम अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठपंक्ति का है।
2. ब्राह्म्य अपील (द्वितीय अपील)- दूसरी अपील प्रथम अपील के निर्णय के 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को दी जायेगी।
3. अपील सम्बन्धी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने को न्यायोचित ठहराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होगी।

4. अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जायेगा, जो उसके फाइल किये जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो।

5. आयोग का निर्णय आबद्धकर होगा, परन्तु विधि के किसी बिन्दु पर अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकेंगी।

राज्य सूचना आयोग: धारा-15

1. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनाधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे रखे जायें।

2. राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधान सभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमण्डलीय मंत्री से मिलकर बनी समिति सिफारिश पर की जायेगी।

3. राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय सम्बन्धित राज्य में कहीं भी हो सकता है तथा इसके अन्य कार्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों में होंगे।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे।

केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियाँ व कार्य: धारा-15 व 16

1) केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का यह कहना होगा कि जिस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे कि –

क) जो कि इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।

ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंच के लिए इन्कार कर लिया है।

ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है।

ड) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है।

च) कोई अन्य विषय जो कि विधि अनुसार प्राप्त करने से सम्बन्धित हों।

2) यदि कोई युक्ति-युक्त आधार हों तो जाँच करने का अधिकार।

3) केन्द्रीय मुचय सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में सिविल न्यायालय की शक्तियां निम्न प्रकार निहित होंगी।

क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।;

घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

4) इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच हेतु सभी अभिलेख केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को यथास्थिति उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें वे अभिलेख भी शामिल होंगे जिन्हें सूचना के प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है।

5) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हों, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं।

क) किसी यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना, जहां वे नियुक्त न हों;

ख) सूचनाओं का प्रकाशन करना;

ग) अभिलेखों के रखे जाने के प्रबन्ध और उनके विनाश से सम्बन्धित नियमों में आवश्यक परिवर्तन करना;

घ) सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के प्राविधानों में वृद्धि करना;

ङ) इस अधिनियम के अनुसरण में लोक प्राधिकारी से एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

च) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना;

छ) इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करना;

ज) अपील को निरस्त करना।

शास्ति या दण्ड धारा-17

प्रत्येक लोकसूचना अधिकारी को निम्नलिखित कारणों से रू0 250 प्रतिदिन (रूपये पच्चीस हजार अधिकतम) के दण्ड का भुगतान करना होगा।

- क) सूचना आवेदन पत्र स्वीकार न करने पर।
- ख) बिना समुचित कारणों के सूचना देने में विलम्ब करने पर।
- ग) गलत ध्येय से सूचना देने हेतु इन्कार करने पर।
- घ) जानबूझकर, अपूर्ण, असत्य व भ्रामक सूचना देने पर।
- च) मांगी गयी सूचना नष्ट करने पर।
- छ) सूचना देने की प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने पर।

केन्द्र में एवं राज्य में स्थापित सूचना आयोग उपरोक्त दण्ड आरोपित कर सकते हैं एवं सम्बन्धित सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी संस्तुति कर सकते हैं।

मा0 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार धारा-20

इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध आवेदन/ वाद सुनने का अधिकार मा0 न्यायालय को नहीं दिया गया है (किन्तु चूंकि सूचना का जनअधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है अतः इस अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें ग्रहण करने का अधिकार मा0 उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कतिपय कार्यधारा-23

- 1) अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम आम जनता के लिए तैयार करने।
- 2) लोकप्राधिकारियों का ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने व आयोजित करने में सहयोग करना।
- 3) जनता को सही सूचना ससमय प्रदान करने को प्रोत्साहन देना।
- 4) प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना व अधिकारियों को प्राशिक्षण देना।
- 5) अपनी राजकीय भाषा में आम लोगों के लिए एक User Guide तैयार कर उसको व्यापक प्रसार।
- 6) लोकसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, पते, सम्पर्क, विवरण एवं अन्य सूचनायें तथा सूचनाओं के लिए निर्धारित शुल्क, आवेदन-पत्र अस्वीकृत होने पर उपलब्ध विकल्प आदि।

नियम बनाने की शक्ति: धारा-24/25

केन्द्र व राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम गठित करने की शक्तियां हैं।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4

संख्या 652/वि0अनु0-4/2003
देहरादून, 27 मार्च, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद/309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड की सहायक लेखाधिकारी सेवा में भर्ती और उसके नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003

भाग एक – सामान्य

1. .सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- क) यह नियमावली उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।
ख) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति-

उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा एक राजपत्रित सेवा है जिसमें समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

- क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून से है;
ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;
ग) 'संविधान' तात्पर्य भारत का संविधान से है;
घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;

ड) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;

च) 'सेवा का सदस्य का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन 'मौलिक रूप से नियुक्त' व्यक्ति से है;

ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा से है;

झ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

स) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो- संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग-

सेवा की सदस्य संख्यात:-

क) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

ख) जब तक उपनियम (1) के अधीन कोई परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट है:

परन्तु:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है और कोई व्यक्ति इस हेतु प्रतिकर पाने का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

5. भर्ती का स्रोत-

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) 90 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त नियमावली परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित ऐसे विभागीय लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/वरिष्ठ सम्परीक्षक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं मौलिक नियुक्ति के पद पर स्थाई हो, पदोन्नति द्वारा।

(दो) 05 प्रतिशत निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग (निदेशालय लेखाकार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की स्थाई सेवा लिपिक पद पर पूर्ण कर ली हो, अथवा लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग के पद पर स्थाई हो, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) 05 प्रतिशत निदेशक, लेखा एवं हकदारी में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग (निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पाँच वर्ष की स्थाई सेवा लिपिक पद पर पूर्ण कर ली हो अथवा लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग के पद पर स्थाई हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि किसी किसी पोषक संवर्ग में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त या पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो उन पदों को, इस नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट शेष पोषक संवर्गों से भरा जा सकता है।

6. आरक्षण-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किया जायेगा।

भाग चार- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण-

नियुक्त प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

1. पदोन्नति द्वारा भर्ती/अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। इसके लिए चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-

- 1) निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ----- अध्यक्ष
- 2) प्रमुख सचिव/सचिव वित्त द्वारा निर्दिष्ट ऐसा अधिकारी जो सरकार के उप सचिव के स्तर से नीचे के स्तर का अधिकारी न हो ----- सदस्य
- 3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी, जिसका स्तर उप निदेशक के स्तर से नीचे का न हो ----- सदस्य

2. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन नियमावली के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा:

परन्तु जहाँ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों-

क) भिन्न-भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का एक ही दिनांक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

3. चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की पात्रता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पाँच- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण एवं ज्येष्ठता

9. नियुक्ति -

1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई सूची में आए हों, नियुक्ति करेगा।

2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख पात्रता क्रम में किया जायेगा जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाय।

10. परिवीक्षा-

1) सेवा में किसी पद पर स्थाई रिक्ति में य उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधिक बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधिक एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रकार से प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्तर में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि-

क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो;

ख) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो;

ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ड) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

11. ज्येष्ठता-

1. ऐतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जैसे कि उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा:

2. पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गई है।

भाग छ:- वेतन इत्यादि

12. वेतनमान-

1. सेवा में सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

2. पंचम वेतन आयोग के आधार पर सहायक लेखाधिकारी के पद का वेतनमान रू0 6,500-200-10,500 है।

13. परिवीक्षा अवधि-

1. फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां हो, विभागीय

परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न करने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

2. ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

3. ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात- अन्य उपबन्ध

15. पक्ष समर्थन:-

पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक , विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

16. अन्य विषयों का विनियमन-

ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

17. सेवा की शर्तों में थिथिलता-

जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित

कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे थिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ से कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ से उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति देने या उसे थिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

17. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट- 'क'

उत्तराण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा के संवर्ग में सहायक लेखाधिकारियों (6500-200-10500) के पदों की सूची (उत्तराखण्ड राज्य गठन की तिथि को उपलब्ध पदों के आधार पर)

क्र० सं०	विभाग	पदनाम	स्थाई	अस्थाई	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	सहायक लेखाधिकारी	01	-	01	
2	पशुपालन	तदैव	03	-	03	
3	राजस्व परिषद	तदैव	02	-	02	
4	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	तदैव	01	-	01	
5	उद्योग	तदैव	02	-	02	
6	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	तदैव	01	-	01	
7	शिक्षा	तदैव	04	-	04	
8	आयुक्त विकास	तदैव	02	-	02	
9	खाद्य	तदैव	02	-	02	
10	निबन्धक सहकारी	तदैव	02	-	02	

	समितियाँ					
11	जिला परिषद	तदैव	13	-	13	
12	राम गंगा कमाण्ड परियोजना	तदैव	02	-	02	
13	पेंशन	तदैव	02	-	02	
14	मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान	तदैव	01	-	01	

परिशिष्ट- 'ख'

उत्तराखण्ड प्रदेश सहायक लेखाधिकारी सेवा के संवर्ग में सहायक लेखाधिकारी के पद के लिए पदोन्नति हेतु पात्रता की श्रेणी में आने वाले पद, जिसमें संगठनात्मक ढांचे के अनुसार लेखाकार अथवा वरिष्ठ लेखा परीक्षक जो पांच वर्ष की सेवा तथा स्थाई होने की अधिमान अर्हता रखता हो

नियम-5 (2)

क्र० सं०	विभाग	पदनाम	वेतनमान
1.	2.	3.	4.
1	कृषि निदेशक	लेखाकार	5000-150-8000
2	निबन्धक, सहकारी समितियाँ	लेखाकार	5000-150-8000
3	निदेशक, समाज कल्याण	लेखाकार	5000-150-8000
4	पुलिस मुख्यालय	व०ले० परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
5	निदेशक, पशुपालन	व०ले० परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
6	आयुक्त, खाद्य तथा रसद	व०ले० परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
7	निदेशक, पंचायतीराज	लेखाकार	5000-150-8000
8	सचिव, राजस्व परिषद	लेखाकार	5000-150-8000

9	महानिरीक्षक, कारागार	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
10	उद्योग निदेशक	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
11	मत्स्य निदेशक	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
12	आबकारी आयुक्त	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
13	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
14	महानिदेशक, परिवार कल्याण	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
15	श्रमायुक्त	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
16	निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक)	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
17	निदेशक, शिक्षा (उच्च)	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
18	निदेशक, शिक्षा (बेसिक)	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
19	आयुक्त, कृषि	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000

1.	2.	3.	4.
20	गन्ना आयुक्त	लेखाकार	5000-150-8000
21	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	वरि0 लेखा परीक्षक	5000-150-8000
22	निदेशक, शिक्षा (प्राविधिक)	वरि0 लेखा परीक्षक	5000-150-8000
23	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	लेखाकार	5000-150-8000
24	निदेशक, नागरिक सुरक्षा	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
25	निदेशक, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर	वरि0 लेखा परीक्षक	5000-150-8000
26	सूचना निदेशक	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
27	व्यापार कर आयुक्त	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
28	दुग्ध आयुक्त	लेखाकार	5000-150-8000
29	परिवहन आयुक्त	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
30	सचिव, लोक सेवा आयोग	लेखाकार	5000-150-8000
31	निदेशक, पंचायतीराज	लेखाकार	5000-150-8000
32	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई	लेखाकार	5000-150-8000
33	मनोरंजन कर आयुक्त	वरि0 लेखा परीक्षक	5000-150-8000
34	निदेशक, नगर भूमि सीमारोपड	लेखाकार	5000-150-8000

35	रामगंगा कमाण्ड परियोजना	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
36	निदेशक विद्युत सुरक्षा	वरि0 लेखा परीक्षक	5000-150-8000
37	शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना	लेखाकार	5000-150-8000
38	निदेशक, राष्ट्रीय बचत	लेखाकार	5000-150-8000
39	निदेशक, युवा कल्याण और प्रादेशिक विकासदल	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
40	निदेशक, जनजाति विकास	लेखाकार	5000-150-8000
41	निदेशक, राज्य सम्पत्ति	लेखाकार	5000-150-8000
42	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
43	निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
44	निदेशक, जेल	लेखाकार	5000-150-8000
45	निदेशक, अभियोजन	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
46	प्रमुख वन संरक्षक	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
47	निदेशक, पर्यटन	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
48	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	लेखाकार	5000-150-8000
49	निदेशक, रेशम उत्पादन	लेखाकार	5000-150-8000
50	सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद	लेखाकार	5000-150-8000
51	निदेशक, हैण्डलूम और टैक्सटाइल्स	व0ले0 परीक्षक	5000-150-8000
52	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000
53	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना	व0ले0 परीक्षक, लेखाकार	5000-150-8000

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-4

संख्या 204/वि0अनु0-4/2004

देहरादून:: दिनांक::5 जुलाई, 2004

-:अधिसूचना:-

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, की धारा-89 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को उन समस्त कार्यों का निर्वहन करने के लिए, जिनका कि उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में निदेशक पेंशन, निदेशक पंचायती राज लेखा, निदेशक विभागीय लेखा एवं निदेशक सामूहिक बीमा योजना द्वारा निर्वहन किया जाता था, के समस्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सहर्ष अधिकृत करते हैं।

(राधा रतूडी)

सचिव।

संख्या 204/वि0अनु0-4/2004, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- पमुख सचिव, न्याय एवं विधयी, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुडकी को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)

सचिव।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-4

संख्या 498/वि0अनु0-4/2002

देहरादून दिनांक, 03 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्त का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड, वित्त सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002

भाग एक- सामान्य

संक्षिप्त नाम 1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली,

और प्रारम्भ 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की 2. उत्तराखण्ड वित्त सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।
प्रास्थिति

परिभाषाये 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में-

क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है;

ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाय;

ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है;

घ) "संविधान" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है;

च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;

छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड वित्त सेवा से है;

झ) "मौलिक नियुक्त" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चातकी गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

स) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. 1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी य अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

भाग तीन- भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में साधारण श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न श्रोतों से की जायेगी:-

क) सीधी भर्ती द्वारा;

ख) मौलिक रूप से नियुक्त-

(एक) सहायक लेखाधिकारियों;

(दो) सहायक/उप कोषाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; और

(तीन) मुख्य रोकडिया (सहायक कोषाधिकारी-रोकड) (मृत संवर्ग समाप्त होने तक):

परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि भिन्न-भिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा संवर्ग में धृत पदों की संख्या यथा सम्भव निम्नलिखित प्रतिशत के अनुसार होगी:-

1) सहायक लेखाधिकारी	20 प्रतिशत
2) सहायक उप कोषाधिकारी	25 प्रतिशत
3) मुख्य रोकडिया (सहायक कोषाधिकारी रोकड)	5 प्रतिशत
4) सीधी भर्ती	50 प्रतिशत

परन्तु यह और कि पदों की किसी श्रेणी (सहायक लेखाधिकारी या सहायक कोषाधिकारी आदि) से 50 प्रतिशत की सीमा में से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

क) भारत का नागरिक हो, या

ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश – केन्या, युगाण्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तराखंड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसे मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

भाग तीन - भर्ती

- शैक्षिक अर्हतायें 8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नानतक उपाधि रखता हो।
- अधिमाननी अर्हतायें 9. ऐसे अभ्यर्थी को जिसने -
क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
- आयु 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष आयोग द्वारा भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिए और पैंतिस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम आयु-परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
- चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार कसे उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के लिए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे
- वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो:
- शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय:
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी की स्थिति में चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

भाग पांच- सीधी भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस नियमावली के नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।
- सीधी भर्ती प्रक्रिया 15. (एक) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

- (दो) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
- (तीन) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर पर पहुंचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(चार) आयोग, अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या अपने अभ्यर्थियों को जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्यासे अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा 16. सेवा में साधारण श्रेणी में पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित भर्ती की प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली के अनुसार की जायेगी।

ज्येष्ठ वेतनमान 17. ज्येष्ठता वेतनमान श्रेणी-दो में चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा जिन्होंने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाये, उस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार से गठित की जायेगी:-

- | | |
|---|---------|
| 1) सरकार के वित्त विभाग के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव | अध्यक्ष |
| 2) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो। | सदस्य |
| 3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये अथवा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड | सदस्य |

परन्तु सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को थिथिल कर सकती है।

ज्येष्ठ वेतनमान 18. ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधिकारियों में से किया जायेगा जिन्होंने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय जो ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-2 में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, कार्य कर लिया हो अथवा ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-2, में एक वर्ष से कार्यरत हो एवं कुल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-

- | | |
|--|---------|
| 1) सरकार के वित्त विभाग के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव | अध्यक्ष |
| 2) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो | सदस्य |
| 3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये अथवा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड | सदस्य |

परन्तु सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को थिथिल कर सकती है।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

चयन वेतनमान 19. (क) चयन वेतन में चयन, श्रेष्ठता के आधार पर, चयन समिति की संस्तुति पर ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधिकारियों में से किया जायेगा जिन्होंने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, जो कुल 15 वर्ष की सेवा तथा ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

विशेष वेतनमान (ख) विशेष वेतनमान में चयन, श्रेष्ठता के आधार पर, चयन समिति की संस्तुति पर चयन वेतनमान मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई, को जिसमें चयन किया जाय, 20 वर्ष की सेवा तथा चयन वेतनमान में 1 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

चयन वेतनमान तथा विशेष वेतनमान हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-

- | | |
|--|---------|
| (1) वित्त विभाग में सरकार के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव | अध्यक्ष |
| (2) कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो | सदस्य |

(3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें अथवा निदेशक, लेखा एवं हकदारी,

उत्तराखण्ड

सदस्य

अतिकाल 20. अतिकाल वेतनमान (सुपरटाइम) स्केल) में चयन, श्रेष्ठता के आधार पर, चयन समिति की संस्तुति
वेतनमान (सुपर पर विशेष वेतनमान के मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा। चयन समिति
टाइम स्केल) निम्न प्रकार से गठित की जायेगी:-

- 1) सरकार के मुख्य सचिव अध्यक्ष
- 2) वित्त विभाग में सरकार के, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य
- 3) कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव सदस्य

संयुक्त चयन सूची 21. यदि भर्ती के किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त
सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम जहाँ तक सम्भव हो, इस प्रकार रखे जायेंगे कि नियम 15 और 16
के अधीन तैयार की गयी सूचियों से सीधी भर्ती और पदोन्नत अभ्यर्थियों का विहित प्रतिशत बना रहे, पहला नाम
पदोन्नति द्वारा चुने गये अभ्यर्थी का होगा।

परन्तु संयुक्त चयन सूची में आये हुये सहायक/उप कोषाधिकारियों, मुख्य रोकडिया (सहायक कोषाधिकारी रोकड) और
सहायक लेखाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे जायेंगे कि
सहायक/उप कोषाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी का नाम बाद सहायक लेखाधिकारियों में से
पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के नाम के बाद मुख्य रोकडिया/सहायक कोषाधिकारियों रोकड का नाम
प्रस्तर-5 में दिये गये प्रतिशत के अनुपात में रखे जायेंगे, और इसी प्रकार के क्रम में आगे भी ज्येष्ठता क्रम की
निरन्तरता रखी जायेगी।

भाग छ:- नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 22. मौलिक रिक्तियाँ होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम,
यथास्थिति नियम-15, 16 या 21 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

परीक्षा 23. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रखा
जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में, परीक्षा अवधि को
बढ़ाया जा सकता है जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से
अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी
को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में
अन्यथा विफल रहा है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यवर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की
जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या सिकी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या
अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे
सकता है।

प्रशिक्षण और 24. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गये सभी अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण पूरा करने
विभागीय परीक्षा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।
पदोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से सरकार ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने और एसी विभागीय परीक्षा
उत्तीर्ण करने की भी अपेक्षा कर सकती है, जो वह समीचीन समझे।

- स्थायीकरण 25.(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि-
- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;
 (ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो;
 (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
 (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
 (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
- (2) जहाँ राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहाँ इस नियमावली के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
- ज्येष्ठता 26. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी सेवक ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात- वेतन इत्यादि

- वेतनमान 27. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा-
- (1) सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
 (2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

वेतन परिवीक्षा अवधि 28.(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि, तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:
- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापोंके सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
- (4) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अधिकारी की वेतनवृद्धि केवल विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण रोक दी जाये तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वेतनवृद्धि की अनुमति, जिस मास में परीक्षा आयोजित की जाये, उसके आगामी मास के प्रथम दिनांक से प्रदान की जायेगी और ऐसी अवधि की, जिसके दौरान वेतनवृद्धि रोकी जाय, समयमान वेतनवृद्धि के लिए गणना की जायेगी।

दक्षतारोक पार 29. सेवा के ऐसे सदस्य को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ- अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 30. इन नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किन्हीं अन्य साधनों से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का 31. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत

- का विनियमन न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यताया लागू होते हैं।
- सेवा शर्तों में 32. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों में थिथिलता को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू नियमों में सिकी बात के होते हुए भी, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्युक्त रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिलुप्त या थिथिल कर सकती है।
- व्यावृत्ति 33. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिसकी सरकार इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

उत्तराखण्ड, वित्त सेवा नियमावली, 2002

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	संवर्गीय पद	50प्रतिशत प्रतिनियुक्ति के सापेक्ष संवर्गीय पद	कुल पद
1	2	3	4	5	6
(क) 1.	अतिकाल वेतनमान (सुपरटाइम स्केल)	18400-500-22400 रु०	2	1	3
2.	विशेष वेतनमान- I	16400-450-20000 रु०	9	4	13
3.	चयन वेतनमान- II	14300-400-18300 रु०	10	5	15
4.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-एक	12000-375-16500 रु०	15	8	23
5.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो	10000-325-15200 रु०	20	10	30
6.	साधारण वेतनमान	8000-275-13500 रु०	30	15	45
	संवर्ग के पदों की कुल संख्या		86	43	129
(ख) 1.	प्रतिनियुक्ति आरक्षित (संवर्ग के पदों की संख्या का 50 प्रतिशत)				
2.	प्रतिशत और छुट्टी आरक्षित (संवर्ग के पदों की संख्या का 8 प्रतिशत)		7		7
	संवर्ग के कुल पदों की संख्या		7		136

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-716/XXX-(2)/2004-55 (42)/2004

दिनांक: 14 जून, 2004

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी) भर्ती) नियमावली,
2004

भाग – एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।
- (2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना- (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियन्त्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से भिन्न निम्नवत श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो) नियंत्रित होगी, किन्तु इसके द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान के पद नियंत्रित नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

3. अन्य नियमों से असंगतता का प्रभाव- इस नियमावली और किसी विशिष्ट सेवा नियमावली के बीच कोई असंगति होने की दशा में-

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

4. परिभाषायें- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो,

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्य पाल से है,

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है,

(ङ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है,

(च) "कार्यालय अध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है,

(छ) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं,

(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है-

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित

था,

(दो) जिसे अधिष्ठान कभी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) ‘भर्ती का वर्ष’ का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या- किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी अदालत द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये-

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा-

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग- दो

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत- किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु किसी विशिष्ट अधीनस्थ कार्यालय में 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह ‘घ’ के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा

उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती है।

भाग – तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता- इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश – केन्या, उगाण्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो-

परन्तु, उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो-

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले-

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. शैक्षिक अर्हताएं- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. अधिमानी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) स्नानतक/स्नानकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो।

11. आयु- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए छूट-भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

13. चरित्र- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम

या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अर्धमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण विद्यमान है।

15. शारीरिक स्वस्थता- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग – चार

भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी-एक जिले में, समस्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन- किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से भिन्न कोई एक अधिकारी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरे पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी- इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

19. चयन का आधार- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजन अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय, अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से नियम 9 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा में उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-7 के अधीन आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया- विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिए चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2003 में विहित की गयी हो।

22. फीस- चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित की जाये। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग पांच

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति – नियम 23 के उपनियम (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेंगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में ही किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

24. परिवीक्षा- (1) जहां किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों से अन्यथा उपबन्धित हों, उसके सिवाय विभाग/कार्यालय में, किसी स्थायी रिक्ति में, किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये,

परन्तु, यह और कि परिवीक्षा अवधि के एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं जिससे इनमें से किसी दशा में वह किसी प्रकार से प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्तर में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

26. ज्येष्ठता- (1) ऐतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जैसे कि उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग छः

वेतन इत्यादि

27. वेतनमान- (1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो, या अस्थायी आधार पर, नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रू0 है।

28. परिवीक्षा अवधि में वेतन – (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग - सात

अन्य उपबन्ध

29. पक्ष समर्थन- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक , विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन- ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

31. सेवा की शर्तों में थिथिलता- जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे थिथिल कर सकती है।

32. व्यावृत्ति- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, सोमवार, 14 जून, 2004 ई0

ज्येष्ठ 24, 1926 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 880/xxx-(2)/2004-55(39)/2004

देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-10

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों में समूह “घ” की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004

भाग एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली समूह “घ” कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना- (1) इस नियमावली जैसा कि नियम 4 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियम 6 में निर्दिष्ट “घ” के सभी पदों पर लागू होगी।

(2) कोई विशेष पद गैर- तकनीकी पद है या नहीं, ऐसा मामला सरकार के कार्मिक विभाग निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम हागा।

3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव- इस नियमावली और किसी विभाग में उपर्युक्त किसी पद से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट नियम या नियमों के बीच कोई असंगति होने की दशा में-

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक अभिभावी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों, और

(दो) विशिष्ट नियमों के उपबन्ध उस दशा में अभिभावी होंगे यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात बनाये जायें।

4. परिभाषायें- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद के सम्बन्ध में, उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुसंगत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो,

(ख) “संविधान” का तात्पर्य “भारत के संविधान” से है,

(ग) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्य पाल से है,

- (घ) “सरकार “ का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है,
 (ङ) “उच्च न्यायालय” का तात्पर्य उच्च न्यायालय, नैनीताल से है,
 (च) “कार्यालय अध्यक्ष” का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है,
 (छ) “लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग” का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो,

(ज) “अधीनस्थ कार्यालय” का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के कार्यालय और महाधिवक्ता के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं,

(झ) “छंटनी किया गया कर्मचारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है-

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जिसमें से कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था,

(दो) जिसे अधिष्ठान कभी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

किन्तु, इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(ट) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो

संवर्ग

5. सेवा की सदस्य संख्या- किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में समूह “घ” के अधिष्ठान की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद या किसी वर्ग के पदों को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसके आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग तीन

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत- समूह “घ” के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नलिखित होगा:-

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. आयु- समूह "घ" के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

10. शैक्षिक अर्हताएं- (1) चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लेस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।

(2) कोई व्यक्ति माली के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे माली के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(3) कोई व्यक्ति दफ्तरी जिल्दसाज के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और समुचित अनुभव न हो।

(4) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित न हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में समुचित अनुभव न हो।

(5) समूह "घ" के प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साइकिल चलाना जानता हो, परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर लागू न होगी।

(6) अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो।

11. भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए छूट-भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से छूट, यदि कोई हो, भर्ती के समय इस निमित्त प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।

12. चरित्र- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अर्धमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण विद्यमान है।

15. शारीरिक स्वस्थता- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

भाग – पांच भर्ती की प्रक्रिया

15. चयन समिति का गठन- सीधी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का न हो।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का

हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो:

परन्तु यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसा अधिकार, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असफल रहे तो ऐसा अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा

16. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी- इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

19. चयन का प्रक्रिया- (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हो आवेदन-पत्र सीधे आमंत्रित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस चिपकाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) जब चयन समिति द्वारा सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों (जिनके लिए सरकारी आदेशों के अधीन रिक्तियं आरक्षित करना अपेक्षित हो) दोनों के नाम प्राप्त हो जायें जब वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(3) चयन समिति चयन करने में छंटनी किये गये कर्मचारियों को महत्व (वेटेज) देने के लिए निम्नलिखित रीति से अंक देगी:-

(एक) प्रथम वर्ष की पूरी सेवा के लिए - 5 अंक

(दो) प्रत्येक आगामी एक पूरे वर्ष की सेवा के लिए - 5 अंक:

परन्तु छंटनी किये गये किसी कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिये जाने वाला अधिकतम अंक 15 से अधिक नहीं होगा।

(4) चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की जिनके लिए चयन किया गया है, संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी। चयन सूची में नाम साक्षात्कार में दिये गये अंकों के अनुसार रखे जायेंगे।

18. सामान्य सूची- जब चयन किये गये सामान्य और आरक्षित दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हो जायें जब नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध करेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची से और उसके पश्चात् आरक्षित अभ्यर्थियों का नाम होगा और इस प्रकार आगे भी इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

19. पदोन्नति की प्रक्रिया-(1) सभी पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगी।

(2) पदोन्नति एक ही अधिष्ठान में, पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय चयन करके की जायेगी। विभागीय चयन समिति का गठन जिसमें तीन सदस्य होंगे, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा।

भाग छः

नियुक्ति, परीक्षा, स्थाईकरण एवं ज्येष्ठता

20. नियुक्ति -(1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 20 या 21 के अधीन तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों।

2) नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में भी उक्त सूची से और उपनियम (1) में रीति से नियुक्ति करेंगे।

21. परीक्षा- 1) अधिष्ठान में, किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा:

परन्तु अधिष्ठान के किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को उस पद के लिए परीक्षा-अवधि की संगणना करने में गिने जाने के लिए की जा सकती है:

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जायेगी:

परन्तु यह और कि परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(2) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार से प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

22. स्थायीकरण- किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परीक्षा-अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायी किये जाने के योग्य समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये।

23.ज्येष्ठता- (1) ऐतदपश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें

तो उस क्रम से जैसे कि उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा:

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्ति की परस्पर ज्येष्ठता वह होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो:

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्तावित किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

(

भाग सात

वेतन इत्यादि

24. वेतनमान- (1) अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त नीचे दिये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान (रू0)
(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, माली, फर्शा, सफाईकार, पनीवाल, भिश्ती, टिंडेल, ठेलामैन, अभिलेख उठान वाला और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद	2550-55-2660-60-3200

(ख) चपरासी-जमादार

(ग) दफ्तरी/जिल्द-साज/साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर

(घ) फर्शा-जमादार 2610-60-3150-65-3540

(ड) सफाईकार-जमादार

(च) प्रधान माली

13. परिवीक्षा अवधि- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली

हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग - सात

अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक , विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन- ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में थिथिलता- जहां राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे थिथिल कर सकती है।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
अधिसूचना
प्रकीर्ण**

संख्या 1098/कार्मिक-2/2003-55(35)/2003

31 जुलाई, 2003 ई0

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2003

- संक्षिप्त नाम 1.(1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली,
प्रारम्भ और 2002 कही जायेगी।
लागू होना (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों पर लागू होगी, सिवाय उन पदों और विभागों के:
(एक) जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के श्रेत्रान्तर्गत हों:
(एक-क) जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो।
(दो) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।

अध्यारोही 2.यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी
प्रभाव होगी।

- परिभाषाएं 3. इस नियमावली में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-
- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;
- (ग) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य की सरकार से है;
- (घ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
- (ङ) 'अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

रिक्तियों का 4. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित का अवधारण जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष की संख्या संगत सेवा नियमावली से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

- सीधी भर्ती की प्रक्रिया में, 5.(1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, सरकार द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा;
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:
- (एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;
- (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और
- (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
- (3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियों अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
- (4) चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :
- (क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर दिया जाना हो, जिसके लिए टंकण या आशुलिपिक और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत 25 प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा।
- परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।
- (दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पत्र, (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने के लिए अनुमति दी जायेगी।
- (ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।
- (गा) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे-
- (एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पांच अंक
- (दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक
- (घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम पांच प्रतिशत होंगे:
- (एक) यदि अभ्यर्थी अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो पांच अंक
- (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो चार अंक
- (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तीन अंक
- (चार) यदि अभ्यर्थी विश्विद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो दो अंक

- (ड) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का पच्चीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्याके उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायेगी।
- (5)(क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप से विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम (4) के खण्ड (ड) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियम कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे:-
टिप्पणी- किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।
- (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (4) खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- (6) उपनियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों को कुल योग के आधार पर बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी
- (7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।
- (8) सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:
- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष
- (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, सदस्य
यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े सदस्य
वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने सदस्य
वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।
- (पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी। सदस्य
- टिप्पणी-(1) यदि किसी जिले के किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हों तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिति गठित की जायेगी। ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम-निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिए एक से अधिक चयन समिति का गठन कर सकता है।
- (3) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

- फीस 7. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों 8. जब चयन प्रक्रिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो द्वारा प्राप्त लिखित परीक्षा के प्रश्नों का सही उत्तर और अभ्यर्थी द्वारा उसमें प्राप्त किये गये अंक के साथ यथास्थिति अंक, सही उत्तरों नियम-5 के उपनियम (5) के अधीन प्राप्त अंकों का कुल योग दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया का प्रदर्शन एवं जायेगा और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। प्रकाशन
- अभ्यर्थियों 9. अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने नियम- द्वारा अभिलेखों 5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया सके सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये का निरीक्षण अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेंगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 590/कार्मिक-2/2003-55 (26)/2002

देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग-1

सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- सेवा की प्राप्ति 2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।
- इन नियमों का लागू होना 3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।
- अध्यारोही प्रभाव 4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
- परिभाषाएं 5. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
क) "नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाय;
ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है;
घ) "संविधान" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;
ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है;
च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड वित्त सेवा से है;
झ) "मौलिक नियुक्त" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
स) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-2
संवर्ग

सेवा का संवर्ग 6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों का कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

भाग- 3

भर्ती

भर्ती का स्रोत 7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण 8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-4

अर्हताएं

राष्ट्रीयता 9. सेवा में किस पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

क) भारत का नागरिक हो, या

ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश – केन्या, युगाण्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो: परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तराखंड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसे मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष आयोग द्वारा भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जायं, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिए और पैंतिस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम आयु-

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

- प्राविधिक और शैक्षिक अर्हताएं 11. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-
- (एक) किसी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
(दो) यथास्थिति भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।
- अधिमान अर्हता 12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;
(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।
- चरित्र 13. सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
- टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अक्षमता के लिए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे
- वैवाहिक प्राप्ति 14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो:
- शारीरिक स्वस्थता 15. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फन्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
- रिक्तियों का अवधारण 16. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस नियमावली के नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

भाग - पांच
सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी;

अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो सदस्य
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित
जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित
जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी;

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक सदस्य
समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी
उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी
के अनुरोध पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) (1) संबन्धित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट सदस्य
व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो।

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की समीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो
ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगा:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता एवं वाहन
चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए
बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार
और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक
अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त कर लें तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के
आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस
प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग - 6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- नियुक्ति 18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम-17 के अधीन तैयार
की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया
जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।
- परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा
सकता है जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय:
परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक
नहीं बढ़ाई जायेगी।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह
प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा
विफल रहा है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यवर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

स्थायीकरण 20. ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि:-

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. झाड़वर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात- वेतन इत्यादि

वेतनमान 27. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि 28. फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि, तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

भाग-8

अन्य विनियमन

पक्ष समर्थन 24. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, का विनियमनसेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

क्रम संख्या-101 (क-3)

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 अगस्त, 2002 ई0

श्रावण 22, 1924 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 195/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना

प0आ0 202

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002

भाग-एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- लागू होना 2. यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।
- अध्यारोही प्रभाव 3. यह नियमावली इससे पूर्व बनायी गयी किसी सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।
- परिभाषाएं 4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-
(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियाँ करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
(ख) “संवर्ग” का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है;
(ग) “आयोग” का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है;
(घ) “समिति” का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है;
(ङ) “पोषक संवर्ग” का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय;
(च) “सेवा” का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है;

- (छ) “सेवा नियमावली” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है;
- (ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (झ) “वर्ष” का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग- दो
ज्येष्ठता का अवधारण

उस स्थिति में 5. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के ज्येष्ठता जब परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या सीधी भर्ती द्वारा समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी है; नियुक्तियों की जायं

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से, कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण – जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जायं तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जायेगा।

उस स्थिति में 6. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियों केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां ज्येष्ठता जब इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा स्पष्टीकरण- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ नियुक्तियों की जायं व्यक्ति के पश्चात् की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

उस स्थिति में 7. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी ज्येष्ठता जब कई हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-पोषक संवर्गों से अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश संख्या के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेगी। केवलपदोन्नति द्वारा नियुक्तियों की जायं

स्पष्टीकरण- जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

उस स्थिति में 8.(1) जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों ज्येष्ठता जब वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित नियुक्तियां उप नियमों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं पदोन्नति और तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं: सीधी भर्ती से की जायं

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप -

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त- (1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी:-

प्रथम - पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक - सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी:-

प्रथम - पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक - सीधे भर्ती किया गये व्यक्ति
पांचवा - पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां - सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि-

(एक) जहां किसी स्त्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्त्रोत केसे नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्त्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्त्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष में ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

भाग – तीन
ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता सूची 9.

- (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।
- (2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपतियां आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक के कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।
- (3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपतियों का निस्तारण करने के पश्चात् अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।
- (5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायं, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या: 192/ कार्मिक -2 /2002
देहरादून, दिनांक 13, अगस्त, 2002

अधिसूचना,

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना
1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 कही जायेगी।
 (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
 (3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तराखण्ड के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों।
- अध्यारोही प्रभाव
2. इस नियमावली के उपबन्ध भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।
- परिभाषाएं
3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,
 (क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गये सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
 (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
 (ग) "संवर्ग" का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा की किसी भाग की सदस्य संख्या से है;
 (घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की सरकार से है;
 (ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
 (च) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
 (छ) "धाराणाधिकार" का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे व स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधिक की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या हक से है;
 (ज) "विहित" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा, विहित से है;
 (झ) "सेवा" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है;
 (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

स्थायीकरण 4.
जहां आवश्यक
है।

- (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल सक पद पर किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।
- (2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा-
 - (एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो,
 - (दो) यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गये कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन;
 - (तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण:- इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाये, या किसी पर, जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाये तो उसे पद पर स्थायी करना होगा।

स्थायीकरण 5.
जहां आवश्यक
नहीं है

- (1) स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा, यदि कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किये जाने के पश्चात् नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाय।
- (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गये, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गयी हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होंगे।
- (3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्यों और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित व्यक्ति का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।
- (4) जहां से उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और

निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय।

दृष्टान्त- (1) "लेखपाल सेवा नियमावली" में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। "क" लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। "क" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

(2) "ख" तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ख" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले मद पर स्थायी करना होगा।

(3) "ग" को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और "घ" को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स वलारा टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ग" और "घ" दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्रोत है।

(4) (ड) सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गये कार्यपालक अनुदेश क अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। "ड" को पुन अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती एकमात्र स्रोत प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात् उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है "च" एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम-5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आयेगा और "च" को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के नियम 5 के उप

नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझी जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी प्रात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा।

- पद जिन पर ये 6. ये नियम वहां लागू नहीं होंगे जहां नियुक्तियां उन नियम अधिष्ठानों के लागू नहीं होंगे पदों पर की जाएं, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गये हों, जैसे कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।
- धारणाधिकार 7. ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी करने का अधिकार पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाता घोषित कर दिया गया हो या जहां परिवीक्षा विहित नहीं है। वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया हो , यथास्थिति, यह समझा जायेगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।
- व्यावृत्ति 8. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002 ई0

अग्रहायण 01, 1924 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1473A/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना/प्रकीर्ण

प्रा0 आ0-208

‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम – यह नियमावली उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।

परिभाषाएं - जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) ‘सरकार’ से तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

(ख) ‘सरकारी कर्मचारी’ से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण- किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तराखण्ड की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें, उत्तराखण्ड सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार किसी

अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, " परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे :-

- (1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लडका सौतेला लडका अविवाहित लडकी या अविवाहित सौतेली लडकी चाहे वह उसके साथ रहता/ रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी, कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा
- (2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/ सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गई हो/ पृथक किया गया हो या ऐसा लडका, सौतेला लडका अविवाहित लडकी या अविवाहित सौतेली लडकी सम्मिलित नहीं होगा, या/ सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया है।

3- सामान्य-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए अत्यधिक रूप से सत्यनिष्ठता तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा ।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विपिक्तत (implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन का प्रतिषेध-

1- कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीडन के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

2- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी ही उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीडन को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए " यौन उत्पीडन" में प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जो कि-

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रमय संबंधी चेष्टाय

(ख) कामवासना- प्रेरित फलितियां,

(ग) किसी कामोत्तेजक कार्य/ व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या सांकेतिक आचरण"।

(घ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।"

4- सभी लोगों के साथ समान व्यवहार-

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क मादक पान, तथा औषधि का सेवन- कोई सरकारी कर्मचारी

(क) किसी क्षेत्र में जहां, वह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रावृत्त किसी विधि का दृढता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावहीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भेषज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है।

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन में अपने को विरत रखेगा।

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा।

(ङ) किसी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण-एक- इस नियम के प्रयोजनार्थ “ सार्वजनिक स्थान” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहां भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण- दो- कोई क्लब जहां

(क) सरकारी कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमित देता है
अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उसमें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो,
भला ही सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहा पर जनता आ जा सकती हो या उसे आने जाने की अनुज्ञा हो।

5- राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे सम्बन्ध रखेगा और न यह किसी, ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्तियां करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण

राज्य में ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ राजनीतिक दल हैं।

‘क’ वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

‘अ’ एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के सम्बन्ध में, जिसमें 'क' दल भी, जो कि सत्ता में हैं, सहित प्रतिषेध करेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति सके उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

'ख' एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिए कि वह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोकें। यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में, न तो मतार्थन करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा;

परन्तु;

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाडी या निवास-स्थान पर,

किसी चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण

किसी चुनाव के सम्बन्ध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या मतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

5-क-प्रदर्शन तथा हडतालें:-

कोई सरकारी कर्मचारी--

(1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) स्वयं किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में न तो कोई हडताल करेगा और न किसी प्रकार की हडताल करने के लिए प्रेरित करेगा।

5-ख-सरकारी कर्मचारियों का संघों का सदस्य बनना- कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य-कलाप भारत की प्रभुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

6-समाचार पत्रों या रेडियो से सम्बन्ध रखना -

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा में जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा न उसके सम्पादन- का या प्रबन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा वह जब अपने कर्तव्यों का सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा य किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छद्मनाम से, अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा:

परन्तु उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल सहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7-सरकार की आलोचना- कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या छद्मनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में, कोई ऐसी तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा:-

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों, के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तराखण्ड सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; अथवा

(2) जिससे उत्तराखण्ड सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो; अथवा

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उलझन पैदा हो सकती हो;

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गये किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

(1) 'क' को जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूसरा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से यह कहे कि दिया गया दण्ड अवैध, अत्याधिक या अन्यायपूर्ण है।

(2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक लेखा अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाये रखने से सम्बन्धित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये कर की दर के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(5) एक पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के सम्बन्ध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के सम्बन्ध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

(6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियासतों को समाप्त कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों को देता था।

8-किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य-

(1) उप नियम (3) के उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) उस दशा में, जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय, उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के सम्बन्ध में लागू न होगी:-

(क) साक्ष्य, जो किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तराखण्ड की विधान-सभा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गयी हो, अथवा

(ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक जाँच में दी गयी हो।

9-सूचना का अनधिकृत संचार- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गये कर्तव्यों का सदभाव के साथ पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेख्य या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण— किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिये गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

10—चन्दे—कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग नहीं ले सकता है, जिसको सम्बन्ध डाक्टरी सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि माँगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप (ट्यूब वेल) के बेधन के लिए किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर सकता।

11-भेंट— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो—

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह-धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा:-

परन्तु वह किसी जातीय मित्र से सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिक अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों के दिये जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कस्बे के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि 'क' को, जो एक सब मण्डलीय अधिकारी है, बाढ के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य

उसके मूल वेतन के दशांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

11—क—कोई सरकारी सेवक--

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, और

(2) न, यथास्थिति, वधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की माँग करेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रति रोध अधिनियम 1961 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961) में इसके लिए दिया गया है।

12—सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन-- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो कोई मान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा:-

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के सम्बन्ध में लागू न होगी, जो सारत निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल में ही सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

13—असरकारी व्यापार या नौकरी -- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धर्मार्थ प्रकार का अवनैतिक कार्य या कोई सहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अडचन नहीं पडती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दे, किन्तु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा। विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से भिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में, पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उसके लिए स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:-

(1) पुस्तक पर सरकार की मुद्रणनुज्ञप्ति अंकित न हो।

(2) पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके सरकारी पदनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के वहिरावरण पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, सरकारी पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत सम्बन्धी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गई है।

(5) सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुश्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है;

किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि:-

(क)-(1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, अथवा

(2) पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है ,

तो लेखक (सरकारी कर्मचारी) से, जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दें, तो इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक -तिहाई सामान्य राजस्व के खाते में उस दशा में जमा करे जब कि आय 2500 ₹ से अधिक हो या यदि वह आवर्तक रूप में प्राप्त होने वाली तथा 2500 ₹ वार्षिक से अधिक हो।

(ख)-(1) पुस्तक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गयी है, किन्तु वह सरकारी नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों को संग्रह मात्र नहीं है वरन् सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वत्तापूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा

(2) रचना के लेखक के सरकारी पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्भावना है,

तो पुस्तक की बिक्री की आय या स्वामित्व (रायल्टी) से उसके द्वारा आवर्तक या अनावर्तक रूप में प्राप्त आय का कोई भाग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2- यह भी निश्चित किया गया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 13 के अधीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके सरकारी कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु सरकारी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया गया है जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर-1 में किया गया है और उनसे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

3- किन्तु उन सभी दशाओं में सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए जिनमें लगातार स्वामित्व (रायल्टी) प्राप्त करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियम किये जाने और ऐसी दशा में सरकारी पद के दुरुपयोग होने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

14- कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन तथा प्रबन्ध -- कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं0 2,1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सरकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं0-21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

और भी परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचनों में केवल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

15-बीमा कारबार- कोई सरकारी कर्मचारी को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट सं02, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट सं0 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

16-अवयस्कों का संरक्षकत्व -- कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त, किसी अन्य अवयस्क के शरीर या सम्य के विधिक संरक्षण के रूप में कार्य नहीं करेगा,

स्पष्टीकरण—1-- इस नियम के प्रयोजन के लिए, आश्रित से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसके जनक बहिनें, भाई, भाई के बच्चे, और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण—2-- इस नियम के प्रयोजन के लिए, समुचित प्राधिकारी वही होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है—

विभागाध्यक्ष, डिवीजन के

कमिश्नर या कलेक्टर के लिए:

जिला जज के लिए --

राज्य सरकार

उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज

अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए -- सम्बन्धित विभागध्यक्ष

17- किसी सम्बन्धी (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही—

(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका सम्बन्धी हो, चाहे वह सम्बन्ध दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है, चाहे यह प्रस्ताव मत या कार्यवाही, उक्त सम्बन्धी के पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ, यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका सम्बन्धी है अथवा नहीं और यदि उसका ऐसा सम्बन्धी है, तो इस सम्बन्ध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि, नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है, और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में है, जो उसका सम्बन्धी है, चाहे वह सम्बन्ध दूर अथवा निकट का हो, और चाहे उस प्रस्ताव, मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो य अन्यथा, वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उसे प्रस्तुत करने के कारण तथा सम्बन्ध के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा।

18—सट्टा लगाना--

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी लगी हुई पूंजी में सट्टा नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण -- बहुत ही अस्थिर मूल्य वाली प्रतिभूतियों की सतत खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस नियम के अर्थ में लगी हुई पूंजियों में सट्टा लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19—लगाई हुई पूंजियाँ--

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा। जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूंजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण

कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या पुत्र को, कोई सिनेमागृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

20-उधार देना और उधार लेना--

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रूपया

उधार देगा;

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर, रूपया उधार लेगा, और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन के अन्तर्गत हो जाय, और न वह सिवाय उस दशा के जब कि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो। अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, किसी जातीय मित्र या सम्बन्धी से, अपने दो माह के मूल वेतन या उससे कम मूल्य का बिना ब्याज वाला एक छोटी रकम का एक नितान्त अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार-लेखा चला सकता है।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्ति या स्थानान्तरण पर भेजा जाय जिसमें उसके द्वारा उप नियम (1) या उप नियम (2) के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन निहित हो, तो वह तुरन्त ही समुचित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की रिपोर्ट भेज देगा, और उसके बाद ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जिन्हें समुचित प्राधिकारी दें।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, समुचित प्राधिकारी राज्य सरकार होगी और दूसरे मामलों में, कार्यालयाध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा।

21- दिवालिया और अभ्यासी ऋणग्रस्तता

सरकारी कर्मचारी, अपने जातीय मामलों का ऐसा प्रबन्ध करेगा जिससे वह अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके। ऐसे सरकारी कर्मचारी, को, जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही चल रही हो, उसे चाहिए कि वह तुरन्त ही उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष, को, जिसमें वह सेवायोजित हो, सब बातों की रिपोर्ट भेज दें।

22- चल अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दश के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा:

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिए, जो किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण

'क' जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिए कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक मास के वेतन अथवा 5,000 रु0 जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्रय-विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उदाहरण

(क) 'क' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ रूपया है और वह सात सौ रूपये का टेप रिकार्डर खरीदता है, या

(2) 'ख' जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रूपया है और पन्द्रह सौ रूपये में मेटर बेचता है,

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिए। यदि व्यवहार किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी से भिन्न प्रकार से किया जाता है ता उसे समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचार, सामान्य रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने स्वयं अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हों, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिए।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आदेश में निर्दिष्ट हों, एक सम्पूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में, उन साधनों के या उस तरीके के ब्यौरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) समुचित प्राधिकारी

(क) राज्य सेवा से सम्बन्धित किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उप नियम(1) तथ (4) के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य सरकार तथा उप-नियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होंगे।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होंगे।

23- सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन-

कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा में जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली

हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो के प्रतिसमर्थन करने के लिए, किसी समाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण-- इस नियम की किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को, अपने जातीय चरित्र का या, उसके द्वारा निजी रूप में किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन करने से प्रतिषेध किया जाता है।

24—असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव का मतार्थन — कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित हितों से सम्बद्ध किसी मामले में कोई राजनीतिक या अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालने का प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण-- सरकारी कर्मचारी की यथास्थिति पत्नी या पति या अन्य सम्बन्धी द्वारा किया गया कोई कार्य जो इस नियम की व्याप्ति के अन्तर्गत हो, के सम्बन्ध में, जब तक कि इसके विपरित प्रमाणित न हो जाय, यह माना जायेगा कि वह कार्य सम्बन्धित कर्मचारी की प्रेरणा या मौन स्वीकृति से किय गया है।

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है और 'ख' 'क' के कुटुम्ब का एक सदस्य है, 'ग' एक राजनीतिक दल है और 'ग' के अन्तर्गत 'घ' एक संगठन है। 'ख' ने 'ग' में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली और 'घ' में एक पदाधिकारी हो गया। 'घ' के, द्वारा 'ख' ने 'क' की बात का समर्थन करना प्रारम्भ किया यहाँ तक कि 'ख' ने 'क' के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध संकल्प प्रस्तुत किया। 'ख' का यह कार्य उपर्युक्त नियम के उपबन्धों का उल्लंघन होगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह 'क' की प्रेरणा या उसकी मौन स्वीकृति से किया गया है, जब तक कि 'क' यह न प्रमाणित कर दे कि ऐसा नहीं था।

24- का—सरकारी सेवकों द्वारा अभ्यावेदन -- कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करें, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा। नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

25- अनाधिकृत वित्तीय व्यवस्थायें-- कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कोई ऐसी वित्तीय व्यवस्था नहीं करेगा जिससे दोनों में किसी एक को या दोनों ही अनाधिकृत रूप से या तत्समय प्रवृत्त किसी नियम के विशिष्ट या विवक्षित उपबन्धों के विरुद्ध किसी प्रकार का लाभ हो।

उदाहरण

(1) 'क' किसी कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क है, और स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने का अधिकारी है। 'क' को इस बात का भरोसा नहीं है वह उस स्थानापन्न पद के अपने कतव्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन कर सकता है। 'ख' जो एक जूनियर क्लर्क है कुछ वित्तीय प्रितफल को दृष्टि में रखकर 'क' को निजी तौर पर मदद देने को तैयार होता है। तदनुसार 'क' और वित्तीय 'ख'

वित्तीय व्यवस्था करते हैं। दोनों ही इस प्रकार नियम खण्डित करते हैं।

(2) यदि 'क', जो किसी कार्यालय का अधीक्षक है, छुट्टी पर जाय, तो ख, जो कार्यालय का सबसे सीनियर असिस्टेन्ट है, स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पा जायेगा। यदि क, ख के साथ, स्थानापन्न भत्ते में एक हिस्सा लेने की व्यवस्था करने के पश्चात् छुट्टी पर जाय, तो क और ख दोनों ही नियम खण्डित करेंगे।

26- बहु-विवाह-(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, तत्समय लागू किसी स्वीय विधि के अधीन किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा;

(2) कोई महिला सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी एक पत्नी जीवित हो, विवाह नहीं करेगी।

27- सुख-सुविधाओं का समुचित प्रयोग— कोई सरकारी सेवक लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सरकार द्वारा उसे प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग अथवा असावधानीपूर्वक प्रयोग नहीं करेगा।

उदाहरण

सरकारी कर्मचारियों के निमित्त जिन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है उनमें मोटर, टेलीफोन, निवास-स्थान, फर्नीचर, अर्दली, लेखन – सामग्री आदि की व्यवस्था सम्मिलित है। इन वस्तुओं के दुरुपयोग के अथवा उनके असावधानीपूर्वक प्रयोग किये जाने के उदाहरण निम्न हैं:-

(1) सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या उसके अतिथियों द्वारा, सरकारी व्यय पर, सरकारी वाहनों का प्रयोग करना या अन्य असरकारी कार्य के लिए उनका प्रयोग करना,

(2) ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्य से नहीं है, सरकारी व्यय पर, टेलीफोन, ट्रंककाल करना,

(3) सरकारी निवास-स्थानों और फर्नीचर के प्रति उपेक्षा बरतना तथा समुचित रूप से रक्षा करने में असफल रहना, और

(4) असरकारी कार्य के लिए सरकारी लेखन-सामग्री का प्रयोग करना।

28- खरीददारियों के लिए मूल्य देना:- कोई सरकारी कर्मचारी, उस समय तक जब तक कि किस्तों में मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से उपबन्धित न हो या जब तक कि किसी वास्तविक व्यापारी के पास उसका उधार-लेखा खुला न हो, उन वस्तुओं का, जिन्हें उसने खरीदा हो, या ऐसी खरीदारियाँ उसने दौरे पर या अन्यथा की हों, शीघ्र और पूर्ण मूल्य देना रोके नहीं रखेगा।

29- बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना :- कोई सरकारी कर्मचारी, बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्तव्य के एक मात्र के रूप में निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी:

- (1) किसी भी किराये पर चलने वाली वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,
- (2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

30- दूसरों की सवारी वाहन प्रयोग में लाना :- कोई सरकारी कर्मचारी, बिना विशेष परिस्थितियों में, किसी ऐसी सवारी वाहन को प्रयोग नहीं करेगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की हो, तो उसके अधीन हो।

31- अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये खरीदारियां :- कोई सरकारी कर्मचारी, किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उसका अधीन हो, अपनी ओर से या अपनी पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा, उसी शहर में या दूसरे शहर में, खरीदारियाँ करने के लिए न तो स्वयं कहेगा और न अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी ऐसे अन्य सदस्य को, जो उसके साथ रह रहा हो, कहने की अनुमति देगा;

परन्तु यह नियम उन खरीदारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें करने के लिए सरकारी कर्मचारी से सम्बद्ध निम्नकोटि के कर्मचारी वर्ग से कहा जाय।

उदाहरण

‘क’ एक डिप्टी कलेक्टर है।

‘ख’ उक्त डिप्टी कलेक्टर के अधीन एक तहसीलदार है।

‘क’ को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को इस बात की अनुमति न दे कि वह ‘ख’ से कहे कि वह उसके लिए कपडा खरीदवा दे।

32- निर्वचन:- यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे सरकार को सन्दर्भित करना होगा तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

33- निरसन तथा अपवाद :- इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी थे और जो उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के अधीन जारी हुए किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी।

आज्ञा से ,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 589/कार्मिक-2/2003-55(38)/2003
देहरादून ,13 मई, 2003
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग-पत्र
नियमावली,2003

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2003" कही जायेगी
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- अध्यारोही प्रभाव 2. यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त जारी किये गये कार्यपालक आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
- परिभाषायें 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में पद-
(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियों करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है;
(ग) "सरकार " का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है;
(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;
(च) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो, और उस सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो।
- त्याग-पत्र की सूचना 4. (1)कोई सरकारी सेवक लिखित रूप से तीन मास की सूचना देकर अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
(2) त्याग-पत्र की सूचना-

(एक) स्वैच्छिक और बिना शर्त होगी;

(दो) प्राधिकारी जिसके अधीन उक्त सरकारी सेवक त्याग-पत्र देने के समय कार्य कर रहा हो, को सूचित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित की जायेगी:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को बिना किसी सूचना या किसी अल्पतर सूचना के त्याग-पत्र की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

त्याग-पत्र का
स्वीकार या
अस्वीकार किया
जाना

5. (1) सरकारी सेवक का त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसके औपचरिक आदेश जारी नहीं किये जाते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है यदि-

(एक) सरकारी सेवक सरकार के प्रति किसी धनराशि का देनदार हो और/ या कोई अन्य दायित्व हो तो तब तक कि देय धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो या दायित्व का निर्वहन न किया गया हो।

या

(दो) सरकारी कर्मचारी निलम्बित हो।

या

(तीन) उसके विरुद्ध कोई जाँच संकल्पित या लम्बित हो।

या

(चार) अपराधिक आरोप से सम्बन्धित अन्वेषण, जाँच या परीक्षण लम्बित हो और ऐसा आरोप सरकारी सेवक के रूप में उसकी शासकीय स्थिति से सम्बन्धित हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी यथासम्भव सूचना की अवधि के अवसान के पूर्व त्याग-पत्र की प्रार्थना पर विनिश्चय करेगा।

सेवा अवधि

6. उक्त सरकारी सेवक की सेवार्यें उसके त्याग-पत्र स्वीकृति के आदेश के जारी होने के दिनांक से या ऐसे भविष्यवर्ती दिनांक से जैसा उसमें उल्लिखित किया जाय, समाप्त हो जायेंगी।

त्याग-पत्र का
का वापस लेना

7. सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप से एक निवेदन प्राप्त कराकर इस नियमावली के नियम 6 में यथा-उपबन्धित अपनी सवाओं की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही अपना त्याग-पत्र वापस ले सकता है।

आज्ञा से

आलोक कुमार जैन
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 236/कार्मिक-2/2003-55(33)2002
देहरादून, 28 फरवरी, 2003
अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003

1. सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना-
 - (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड अस्थायी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली 2003 कहलायेगी।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
 - (3) यह नियमावली, उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तराखण्ड के कार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद (सिविल पोस्ट) पर हों और जो राज्यपाल के द्वारा बनाये गये नियमों से नियंत्रित होते हों, किन्तु जिनका उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी स्थायी सरकारी पद पर स्वत्य (लीएन) न हो।
2. परिभाषा-

इस नियमावली में, “अस्थायी सेवा” का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी अस्थायी पद पर स्थानापन्न या मूल सेवा से अथवा किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न से है।
3. सेवा की समाप्ति -
 - (1) इस विषय पर विद्यमान किसी नियम या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अस्थायी सेवा में स्थित किसी सरकारी सेवक की सेवा किसी भी समय या तो सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवक को लिखित रूप में दी गयी नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
 - (2) नोटिस की अवधि एक मास होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकेगी और ऐसी समाप्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिए या यथास्थिति ऐसी नोटिस एक मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिए उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते की (यदि कोई हो) धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा, जिस दर पर वह उनको अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले पा रहा था:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक से नोटिस के बदले किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना किसी सरकारी सेवक को नोटिस के बिना अवमुक्त कर सकेगा, या कम अवधि की नोटिस स्वीकार कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गयी नोटिस तभी प्रभावी होगी, जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दी जायेगी।

4. अपवाद-

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों की व्यक्तियों की पदावधि या नियुक्ति या सेवायोजन की पदावधि-निरन्तरता उसकी नियुक्ति या सेवायोजन की शर्तों द्वारा नियन्त्रित होंगी, और इस नियमावली की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उनकी नियुक्ति या सेवायोजन की समाप्ति के पूर्व उनको या उनके द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देना अपेक्षित है:-

- (क) वे व्यक्ति जो संविदा पर नियुक्त हों;
- (ख) वे व्यक्ति जो सरकार के पूर्णकालिक सेवायोजन में न हो
- (ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी की जाती हो;
- (घ) वे व्यक्ति जो कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवायोजित हों;
- (ङ) वे व्यक्ति जिन्हें अधिवर्षिता के पश्चात् पुनः सेवायोजित किया जाय;
- (च) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवायोजित किया जाय, और जिनकी सेवा पर्यवासन उस अवधि के व्यतीत होने पर स्वतः हो जाय;
- (छ) वे व्यक्ति जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस शर्त पर सेवायोजित किया जाय उस अवधि में किसी भी समय कमी की जा सकती है;
- (ज) वे व्यक्ति जिन्हें अल्पकालिक व्यवस्था या रिक्तियों में नियुक्त किया जाय और सेवा पर्यवासन उस व्यवस्था या रिक्ति की समाप्ति पर स्वतः हो जाय।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 196/कार्मिक -2/2002
देहरादून, 13 अगस्त, 2002

अधिसूचना
प्रकीर्ण

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्त का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002

- संक्षिप्त नाम और लागू होना 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिमूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 कही जायेगी।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- (3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।
- अध्यारोही प्रभाव 2. यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।
- परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद-
- (क) “समुचित प्राधिकारी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदन प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो;
- (ख) “संविधान” का तात्पर्य “भारत के संविधान” से है;
- (ग) “सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य से है;
- (घ) “सरकारी सेवक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;
- (ङ) “रिपोर्ट” का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित अधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से न्यूनतम अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है;
- (च) “सचिवालय” का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है;
- (छ) “वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।
- प्रतिकूल (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः प्रतिकूल या

रिपोर्ट की संसूचना आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित और प्रत्यावेदन के सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जो प्रत्यावेदन/ प्राधिकारी से निपटाने के लिए निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम प्रक्रिया निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर, सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।

- (2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता को ही कर सकता है: परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो वह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिए 45 दिन की अग्रेत्तर अवधि की अनुमति दे सकता है।
- (3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उकी टीका-टिप्पणी के लिए भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा: प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवा निवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो।
- (4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टीप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी प्रतीक्षा किये बिना-
 - (क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए; या
 - (ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए सकारण आदेश पारित करेगा।
- (5) जहां सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

- (6) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।
- (7) जहां उपनियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गई रिपोर्ट को विलुप्त कर देगा।
- (8) उपनियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।
- (9) जहां-
 - (एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना;
 - (दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन;
 - (तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन के भेजे जाने;
 - (चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी; या
 - (पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो, वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिए विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

सपष्टीकरण- इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिए इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

- रिपोर्ट का 5. फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश प्रतिकूल न समझा फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई जाना प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम 4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षतारोक पार करने और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।
- रजिस्टर 6. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके का रख-रखाव द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्या प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियाँ करेगा।
- शास्ति 7. (1) जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिए विविध रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिए विहित अवधिक के भीतर ऐसा करने में जाबूझकर विफल रहता है, वहाँ वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

8. नियम 4 के उपनियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 अगस्त, 2003 ई०

फाल्गुन: 15, 1924 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 237/कार्मिक-2/2003-(25) 2002

देहरादून, 06 मार्च, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।
- (3) यह "भारत का संविधान के अनुच्छेद 229 से आच्छदित उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।
- परिभाषाएं 2. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
- (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस नियमावली क नियम-7 के अधीन जाँच से है;
- (ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम-6 के अधीन शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
- (ज) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (झ) "समूह क, ख, ग और छ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है;
- (ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है।
- शास्तियाँ 3. निम्नलिखित शास्तियाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोहित की जा सकेंगी:-
- (क) लघु शक्तियाँ-
- (एक) परिनिन्दा;
- (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधिक के लिए वेतन वृद्धि को रोकेगा;
- (तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना;
- (चार) समूह "घ" के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना:

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) दीर्घ शास्तियाँ-

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना;

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नस्तर प्रक्रम पर अवनति करना;

(तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरहित नहीं करता हो;

(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरहित करता हो।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटी में नहीं माना जायेगा, अर्थात् :-

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना;

(दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति पर सेवा के निबन्धन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन;

(तीन) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबन्धन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सेवा का पर्यवसयन।

निलम्बन 4. (1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'घ' पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने से निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक; जिसके सम्बन्ध में सा जिसके विरुद्ध किसी अपराधिक आरोप से सम्बन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से सम्बन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संभावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की

गई हो उसके विवेक पर जब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जायें।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अडतालिस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो चाहे अपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो, निलम्बित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अडतालिस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गयी है और ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया जा सकता है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखण्डित नियमावली के अधीन अपील में यापुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अग्रेत्तर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य आदेशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां-

(क) यदि वह शास्ति के दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुए समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर आपस्त कर दिया गया हो, मामले को अग्रेत्तर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रेत्तर जांच लम्बित रहते हुए

- निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।
- (6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेव से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनों जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गयी थी, अग्रेतर जांचकरने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां-
- (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यायधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;
- (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (7) जहां से कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।
- (8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तक तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।
- (9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग से चार के फण्डामेन्टल रूल-53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पान का हकदार होगा।

निलम्बन 5. इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के के वेतन और आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन भत्ते आदि और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को इयूटी पर बिताया गया माना जायेगा। अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्डबुक,

खण्ड दो, भाग दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मामले के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए उस पर नियम-4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तराखण्ड श्रेणी-दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2002 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित लघु शास्तियों अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा समूह 'ग' और 'घ' के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसे उसमें विहित की जायें, प्रत्यायोजित कर सकती है।

दीर्घ शास्तियाँ किसी भी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व अधिरोपित करने निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी:-

के लिए प्रक्रिया (एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(दो) अवचार के ऐसे तथ्यों जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप-पत्र कहा जायेगा। आरोप-पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां आरोप-पत्र सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी सेवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप-पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजों साक्ष्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हों, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।

(चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप-पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और यह कथन करे कि आरोप-पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट

दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।

(पांच) आरोप-पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उसके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेग, उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप-पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्राप्ति आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उसे जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(छः) जहां आरोपित सरकारी सेवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था:

प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

(आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्ष्यों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में 30प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(नौ) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(दस) जहां आरोपित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच

अधिकारी, आरोपित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(ग्यारह) अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवा या विधिक व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता है।

(बारह) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे दी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

- (एक) जहां किसी व्यक्ति पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गयी हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराये; या
- (दो) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियमावली में उपबन्धित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है; या
- (तीन) जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित इस नियमावली में उपबन्धित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।

जांच रिपोर्ट का जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी का प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त किया जाना तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

- जांच रिपोर्ट (1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम-7 के उपबन्धों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।
- पर कार्यवाही (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।
- (3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तदनुसार उसे सूचित कर दिया जायेगा।
- (4) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके

अभिलिखित निष्कर्षों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम-16 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसके आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।

लघु शास्तियाँ(1)
अधिरोपित करने के
लिए प्रक्रिया

जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम

(2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियम-3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

- (2) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।

अपील

- (1) इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

- (2) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

- (3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसी भाषा के का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

- (4) अपील अपेक्षित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

अपील पर 12.

विचार

अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम-13 के खण्ड (क) से (घ) में यथाउल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे:-

- (क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं;
- (ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और
- (ग) क्या शास्ति अत्याधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

- पुनरीक्षण 13. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो; और
- पुनर्विलोकन 14. राज्यपाल, यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई, सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्त्विक त्रुटि हो गयी थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या सम्बन्धित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।
- शास्ति 15. नियम-12, 13, और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
- आयोग 16. इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर-प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (जो उत्तराखण्ड में 30प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी हैं) के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जायेगा।
- विखण्डन 17.(1) और व्यावृत्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 में उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 या 30प्र0 अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम-3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द या विखंडित न कर दिया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को खण्ड (1) में वर्णित नियमावलियों के अन्तर्गत अथवा 30प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा।

- (3) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी। मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 अगस्त, 2003 ई०

फाल्गुन:15, 1924 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 237/कार्मिक-2/2003-(24) 2002

देहरादून, 06 मार्च, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-11

संविधान के अनुच्छेद के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2003

1. (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-यह नियमावली उत्तराखण्ड समूह 'ख' सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. लागू होने की सीमा-यह नियमावली उत्तराखण्ड की समूह 'ख' की ऐसी समस्त सेवाओं, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, पर लागू होगी।
3. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव-इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी नियम या आदेश में इससे कोई भी असंगत बात क्यों न हो।
4. परिभाषा- जब तक कि, प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-
 - (क) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल स है;
 - (ख) "विभागाध्यक्ष" के अन्तर्गत कोई अपर विभागाध्यक्ष भी है और उसका तात्पर्य राज्यपाल द्वारा इस प्रकार विशेष रूप से घोषित किसी प्राधिकारी से है;
 - (ग) "लघु शास्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है-
 - (1) परिनिन्दा;
 - (2) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;
 - (3) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।
5. शक्ति का प्रतिनिधायन- विभागाध्यक्षों के अधीन सेवारत उत्तराखण्ड की श्रेणी 'ख' के अधिकारियों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल द्वारा लघु शास्तियां आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग एतद् पश्चात् श्री राज्यपाल के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष भी कर सकेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर 2002

विषय:- सामान्य भविष्य निधि लेखों के सही रख-रखाव के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण एक तरफ अभिदाताओं के लेखों का सही रख-रखाव नहीं हो रहा है, वहीं अनियमित भुगतान अथवा सेवानिवृत्त के प्रकरणों में अन्तिम निष्कासन में विलम्ब होता है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सामान्य भविष्य निधि के खाते के रख-रखाव हेतु निम्नलिखित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये:

- (क) सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित लेखा संख्या (एकाउन्ट नम्बर) का सत् प्रतिशत सही होने के लिए वर्ग "ग" तथा उससे उच्च कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरणों में एक बार महालेखाकार से मिलान कर कोषागार में उपलब्ध सम्बन्धित कर्मचारियों के "डाटा बेस" को सही एवं अद्यावधिक करा लिया जाय।
- (ख) वर्ग "घ" के प्रकरणों में मानक के आधार पर भविष्य निधि संख्या आवंटित किया जाय। ऐसे कर्मचारियों के खाता संख्या आवंटन करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन आहरण के कोषागार का सूक्ष्म नाम जैसे अल्मोडा के लिए ALM, बागेश्वर के लिए BGS, चम्पावत के लिए CMP, चमोली के लिए CML, , देहरादून के लिए DDN, हरिद्वार के लिए HDR, कोटद्वार के लिए KDR, लैन्सडाउन के लिए LDN, नैनीताल के लिए NTL, नरेन्द्रनगर के लिए NGR, पौड़ी के लिए PRI, पिथौरागढ़ के लिए PTH, रूडकी के लिए RKY, रूद्रप्रयाग के लिए RPG, टिहरी के लिए THY, उत्तरकाशी के लिए UKS, उधमसिंह नगर के लिए UNR का कोड लिखा जाय, एक बार जो भविष्य निधि खाता आवंटित किया जाये उसे निरस्त न किया जाय तथा राज्य की सीमा में स्थानांतरण होने पर भी वर्ग "घ" के भविष्य निधि का कोषागार कोड एवं खाता संख्या परिवर्तित न किया जाय। कोषागार के उक्त सूक्ष्म नाम के बाद डी0डी0ओ0 कोड संख्या सम्बन्धित कोषागार के अनुसार परिवर्तन होगा तथा उसके बाद प्रत्येक डी0डी0ओ0 के यहां 5 डिजिट कोड (न्यूनतम 00001 तथा अधिकतम 99999) डाला जाय। उदाहरणार्थ बजट अधिकारी वित्त विभाग के यहां कार्यरत वर्ग "घ" के कर्मचारी श्री कमल जिसका बजट

अधिकारी (डी0डी0ओ0 कोड 4268) के अधिष्ठान में क्रमांक-3 है तो उसे सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या: DDN/4268/00003 आवंटित किया जा सकता है। इस प्रकार आवंटित कोड को कोषागार को सूचित करने के बाद एक बार सत प्रतिशत मिलान सम्बन्धित कोषागार के एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के “डाटा बेस” से अवश्य किया जाय। प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वर्ग “घ” के भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित करने हेतु एक स्थायी पंजी बनाई जाये तथा निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ग “घ” में प्रथम नियुक्ति को भविष्य में निरन्तर क्रमांक में अद्यावधिक रखा जाय।

- (ग) सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम/अन्तिम निष्कासन निर्धारित मानकों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रकरण का प्रत्येक अभिदाता का खाता संख्या का उल्लेख करके स्वतंत्र आदेश तथा स्वतंत्र देयक (इन्डेपेन्डेन्ट बिल) कोषागार में प्रस्तुत किया जाये। आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी के नाम ही स्वतंत्र एकाउन्टपेयी चेक कोषागार द्वारा निर्गत करके भुगतान किया जाय।
- (घ) आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि से होने वाली कटौती, भुगतान का कोषागार वाउचर संख्या, दिनांक तथा तदसम्बन्धी धनराशि का उल्लेख लेजर, पासबुक में किया जाय। प्रत्येक माह के 15-20 तारीख के मध्य ठीक पूर्व माह की कटौतियों/भुगतानों से सम्बन्धित विवरण के अभिलेख/पासबुक पर आहरण वितरण अधिकारी इस आशय से हस्ताक्षर करेंगे कि कटौतियों एवं भुगतान का सही विवरण अद्यावधिक किया गया है।
- (ङ) वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही एवं द्वितीय छमाही पूर्ण होने के एक माह के अद्यावधिक पास बुक अभिदाता को दिखाकर उस पर अभिदाता के द्वारा हस्ताक्षर कराकर कर सत्यापन सुनिश्चित किया जाय।
- (च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, विलम्बतम् 15 मई तक वर्ग “घ” के प्रकरण में उस वित्तीय वर्ष में अनुमन्य ब्याज का आगणन कर लेखा पर्ची सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाय। वर्ग “ग” तथा उच्च श्रेणी के कार्मिकों की पास बुक की छाया प्रति जिसमें वित्तीय वर्ष की मासिक कटौतियां, भुगतान यदि कोई हो, प्रारम्भिक अवशेष अवशेष लिखा गया को महालेखाकार कार्यालय के सम्बन्धित के सम्बन्धित फण्ड अनुभाग में उपलब्ध करा दिया जाय जिससे सत प्रतिशत सही लेखा तैयार किया जाय एवं समय से लेखा पर्ची जारी की जाय।
- 2- कोषागार स्तर पर एन0आई0सी0 के सहयोग से साफ्टवेयर में यथा आवश्यक यथा आवश्यक संशोधन किया जाय जिससे प्राप्तियों तथा भुगतान के शिड्यूल में आहरण वितरण अधिकारी के पदनाम के साथ-साथ अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या तथा अभिदाता का नाम छापा जा सके। साफ्टवेयर यह सुविधा भी सृजित की जाय जिससे महालेखाकार के ‘सीरीजवार’ (उदाहरणार्थ GAU, MEDU आदि) रिपोर्ट भी निकाली जा सके। एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली में वेतन से होने वाली सामान्य भविष्य निधि कटौतियों की किस्तों को भविष्य निधि

अस्थाई अग्रिम (स्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासन को छोड़कर) के आहरण के साथ-साथ साफ्टवेयर से ही वेतन से कटौतियों को जोडा (लिंक) जाय, जिससे भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम आहरण के ठीक बाद एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से आहरित होने वाले वेतन से किस्तों की अग्रिमों की कटौतियां स्वतः प्रारम्भ हो सके। यदि कोई अभिदाता, दरों/धनराशियों में परिवर्तन कराना चाहे तो शासनादेश संख्या 235/21, वि0अनु0-1/2001 दिनांक 06 दिसम्बर, 2001 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संशोधन कोषागार को निर्धारित प्रपत्र 2 पर भेजा जाय।

- 3- सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा कटौतियों का विवरण एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली से एन0आई0सी के सर्वर प्रति माह अद्यावधिक किया जाता है अतः प्रत्येक वर्ग "घ" के अभिदाता के सामान्य निधि के खाते को सही कर लिया जाय जिससे वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अन्तिम अवशेष अर्थात् 01 अप्रैल, 2003 कोषागार में उपलब्ध "डाटा बेस" से जोडकर सभी खातों का सही रख-रखाव हो तथा दोहरे नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वर्ग "घ" के अभिदाताओं के 01 अप्रैल, 2003 के अवशेष का विवरण सम्बन्धित कोषागारों को विलम्बतम 25 अप्रैल, 2003 तक प्रेषित कर दिया जाय जिससे एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर से ऐसे खातों को अद्यावधिक रखते हुए आहरण वितरण अधिकारी के यहां उपलब्ध लेखों को कोषागार के विवरण से प्रति वर्ष मिलान किया जाय एवं अभिदाता को समय से सही लेखा पर्ची उपलब्ध करायी जाय।
- 4- जिन अभिदाताओं के भविष्य निधि लेखे का रख-रखाव महालेखाकार कार्यालय द्वारा ही किया जाता है ऐसे प्रकरणों में उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य हेतु स्थायी आवंटन होने के एक बार अभिदाता के सन्तुष्ट होने पर कि उसकी कटौतियों/आहरण के आधार पर लेखा पर्ची सही हैं तो 01 अप्रैल, 2004 या उसके बाद के प्रारम्भिक अवशेष को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार के "डाटा बेस" में प्रविष्टि करा कर भविष्य में महालेखाकार को मिलान हेतु कोषागार से "सीरिज वार" प्रत्येक अभिदाता का विवरण भेजा जाय जिससे महालेखाकार द्वारा समय से सही लेखा पर्ची अभिदाताओं को भेजी जा सके।
- 5- निदेशक, लेखा एवं हकदारी तथा स्टेट इण्टरनल आडिटर का दायित्व हागा कि समय-समय पर विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण करके भविष्य निधि लेखों के सही रख-रखाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें कि सामान्य भविष्य निधि के संचालन में क्या किसी प्रकार का संशोधन/अद्यावधिक किया जाना अपेक्षित है जिससे लेखों से सही व्यवहरण किया जाना सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त

पत्रांक: 651/वि0अनु0-3/2002 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अनुभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या 1033/वित्त अनु0-04/2003
अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् –

उत्तराखण्ड पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली 2003

- संक्षिप्त नाम 1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, और प्रारम्भ निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषायें 2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:-
- (क) “मुख्य नोडल अधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड से है;
- (ख) “विलम्ब” का तात्पर्य समय-अनुसूची से अधिक अवधि से है;
- (ग) “अग्रसारण अधिकारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो;
- (घ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;
- (ङ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है;
- (च) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है;
- (छ) “कार्यालयाध्यक्ष” का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है;
- (ज) “नोडल अधिकारी” का तात्पर्य समय-समय पर जारी किए गये सरकार के आदेशों के अनुसार इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है;
- (झ) “पेंशन” का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-41 में यथा परिभाषित पेंशन से है;
- (त्र) “पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है;
- (ट) “समय अनुसूची” का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के सम्बन्ध में स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट समय से है;
- अध्यारोही 3. किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए प्रभाव भी, नियमावली प्रभावी होगी।

- समय 4. (1) किसी विलम्ब को नोडल अधिकारी/मुख्या नोडल अधिकारी:-
- अनुसूची और सहबद्ध (क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ता के संगठनों की शिकायत पर:
- विषयों के कार्यान्वयन (ख) पेंशन के मामलों के निस्तारण के अनुवर्तन पर अभिनिश्चित कर सकते

- (2) जब कभी नोडल अधिकारी/ मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी के में कोई विलम्ब का मामला आता है तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में सभी सुसंगत सूचनायें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और ऐसी जाँचोपरान्त जिसे वे उचित समझे विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा। नोडल अधिकारी/मुख्या नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के सम्बन्ध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।
- (3) कोई व्यक्ति, जो कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नोडल अधिकारी/ मुख्य नोडल अधिकारी को, देने में असफल रहता है, या जो विलम्ब के लिए उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन दण्डनीय होगा।
- (4) सम्यक् रूप से पूर्ण पेंशन के कागज-पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके सम्बन्ध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजा जायेगा।
- (5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी पेंशन के मामलों का समय अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा।
- (6) पेंशन स्वीकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों/पदधारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हों और ऐसे मामलों के परीक्षण और निस्तारण के लिए सभी समुचित कदम उठायेगा।
- (7) सरकार में सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय-अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चित करायेगा।

अनुसूची

(नियम 2 (ख) और 2(ट) देखिये)

समय - अनुसूची

क्र०सं०	कार्य का विवरण	समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है	कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
1	2	3	4
1.	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	प्रत्येक वर्ष का जून मास	1-विभाग के सम्बन्धित अधिष्ठान का सम्बन्धित लिपिक 2-कार्यालय का अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष

2.	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना	सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व	1-सम्बन्धित अधिष्ठान लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण-पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4.	क-सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना ख-पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
5.	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक मास पश्चात्	1-पेंशन लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी से जांच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं	सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व	1-कार्यालय अधीक्षक 2-कार्यालयाध्यक्ष
7.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के सात मास पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
8.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण: (क) सेवा पेंशन (ख) पारिवारिक पेंशन	सेवानिवृत्ति से पांच मास पूर्व, पूर्व के एक मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
9.	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो उसे दूर करने के लिए विभाग को लिखा जाना।	पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो मास	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाकार 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10.	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष
11.	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
12.	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिए प्रपत्र-2 पर अदेयता प्रमाण-पत्र का अग्रसारण	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13.	(पेंशन/उपादान/पेंशन के सारांशीकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	1-लेखाकार 2-सहायक लेखाधिकारी 3-पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
14.	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अनन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो)	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास पश्चात्	1-पेंशन लिपिक 2-कार्यालय अधीक्षक 3-कार्यालयाध्यक्ष

15.	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16.	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास	कोषाधिकारी कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
17.	सेवानिवृत्त कार्यकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 351-क में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवा-निवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से छः मास के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी
18.	पेंशन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।	सम्बन्धित विभाग का प्रतिवादी

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव वित्त।

वित्त अनुभाग-6

उत्तराखण्ड शासन

संख्या- /XXVII(6) /2015

देहरादून: दिनांक 28 फरवरी 2015

शासनादेश संख्या 07/XXVII(6)/2015 दिनांक 02-01-2015 द्वारा उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्गों के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्यपाल महोदय निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं एवं निदेशालय लेखा एवं हकदारी उत्तराखंड देहरादून दस कर्तव्य एवं दायित्वों को पुनर्गठित करते हुए क्रमशः निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड देहरादून तथा निदेशालय विभागीय लेखा करते हुए उक्त निदेशालयों के मध्य निम्नवत कार्य विभाजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड देहरादून

(क) निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी से निदेशालय लेखा एवं हकदारी के (सहायक लेखाधिकारी अधिष्ठान एवं वित्त परामर्शदाता कार्यालयों के कार्यों को छोड़कर) समस्त कार्य दायित्व तात्कालिक प्रभाव से व्यवहारित किये जायेंगे एवं निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं के रूप में पहले से व्यवहारित किये जा रहे समस्त कार्य/दायित्व यथावत रहेंगे।

(ख) राज्य सरकार के समूह ग एवं घ श्रेणी के समस्त सरकारी सेवकों (यूपीसीएल , यूजविनिल, पित्कुल, एवं परिवहन के कार्मिकों को छोड़कर) पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्याकार्य/दायित्व राज्य के 13 जन्पदिय कोषागारों दस जनपदवार हस्तांतरित किया जाता है । प्रदेश के गरवाल मंडल परिक्षेत्र के श्रेणी 'क', 'ख' एवं यूपीसीएल यूजविनिल, पित्कुल, एवं परिवहन के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्राधिकार पत्र निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून से तथा कुमायूं मंडल परिक्षेत्र से श्रेणी "का" एवं "ख" दस समस्त सेवानिवृत्त/मृत्यु के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राधिकार

पत्र निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी दस शिविर कार्यालय हल्द्वानी से निर्गत किये जायेंगे।

(ग) निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाए के रूप में घोषित नियुक्ति प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष, बजट नियन्त्रक , कोषागारो के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व अब निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में निहित किया जाता है ।

(घ) निदेशालय एवं वित्त सेवाए एवं अधीनस्थ कोषागारों का संगठनात्मक ढांचा निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में तदनुसार यथावत रहेगा । निदेशालय लेखा एवं हकदारी के संगठनात्मक ढांचे में नयी पेंशन योजना के कार्य के लिए सृजित सभी पद एवं पदधारक कार्य के साथ साथ निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में समाहित होंगे ।

(ङ) निदेशालय लेखा एवं हकदारी का नाम परिवर्तित करते ही यहाँ के जो कार्य एवं दायित्व निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी में हस्तांतरित हुए हैं, उनसे सम्बंधित समस्त पत्रावलियां, अभिलेख, डिजिटल डाटा, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संगत अभिलेख दिनांक 15 मार्च 2015 तक सम्बंधित कोषागारों एवं निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय । दिनांक 28 फरवरी 2015 तक लंबित पेंशन प्रकरण इस कार्य को पहले से व्यवहरित कर रहे कमचारियो/अधिकारियो द्वारा दिनांक 31-03 -2015 तक निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बंधित कार्मिक कार्य के अधर पर उक्त तिथि तक निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अधीन रहेंगे ।

(च) दिनांक 31-03-2015 को तथा इसके बाद सेवानिवृत्त कार्मिको/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन सम्बंधित कार्य नवीन व्यवस्था के अधीन निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी एवं जनपदीय कोषागार में तैनात कार्मिको द्वारा व्यवहरित किया जायगा इसके लिए निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी समस्त औपचारिकताये अपने स्तर से पूर्ण करेंगे ।

निदेशक विभागीय लेखा उत्तराखंड

- (क) निदेशक विभागीय लेखा, उत्तराखंड का प्रदेश के समस्त विभागों में सृजित सहायक लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता कार्यालय के समस्त पदधारको को नियुक्ति प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है ।
- (ख) निदेशक विभागीय लेखा उपरोक्त प्रस्तर 3(क) में वर्णित पदधारको एवं वित्तीय परामर्शदाता कार्यालयों के लिए बजट नियंत्रक अधिकारी होंगे ।
- (ग) निदेशालय लेखा एवं हकदारी जिसका नाम परिवर्तित करके निदेशालय विभागीय लेखा किया गया है के संगठनात्मक ढांचे में सृजित पद एवं पदधारको (नयी पेंशन योजना को छोड़कर) स्वत ही निदेशालय विभागीय लेखा के होंगे तथा विबीभन विभागों में सृजित सहायक लेखाधिकारी के समस्त पद विभागीय लेखा के ढांचे में समाहित होंगे । निदेशक विभागीय लेखा निदेशालय के कार्यों के आवश्यकतानुसार निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे का पूर्ण निर्धारण सुनिश्चित करेंगे !
- (घ) निदेशालय लेखा एवं हकदारी के लिए आवंटित भवन, क्रय की गई गाडियां, फर्निचर कंप्यूटर आदि निदेशालय विभागीय क्रय ढ गयी गाडियों फर्नीचर, कंप्यूटर आदि निदेशालय विभागीय लेखा के प्रयोजनार्थ यथावत रहेंगे ।

(भवदीय)

भास्करानंद
सचिव

संख्या- /XXVII(6) /2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105ए इंदिरानगर, देहरादू।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 3- निदेशक , कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(दिलीप जावलकर)

अपर सचिव

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

बुधवार 18 अक्टूबर, 2017 ई0
आश्विन 26, 1939 शक सम्बत्
उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-6
संख्या 23/xxxvII(6)/ दो -324-2005-2017
देहरादून, 18 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी नियमावली 2003 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017

भाग एक- सामान्य	
संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली , -2017 है। (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (3) मूल नियमावली में जहां-जहां 'उत्तरांचल' आया है, वहां वह शब्द उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।
(नियम-3 में संशोधन) 2	उत्तरांचल सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली 2003 जिसे

		यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ -एक में दिये गये नियम-3 के खण्ड (क) (घ)ए (ड) और (ज) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात्:-
(नियम-3 में संशोधन)	2	उत्तरांचल सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली 2003 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ -एक में दिये गये नियम-3 के खण्ड (क) (घ)ए (ड) और (ज) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात्:-
स्तंभ -एक वर्तमान नियम		स्तम्भ- दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3 परिभाषाएंः (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखंड देहरादून से है। (घ) 'सरकार' का तात्पर्यउत्तराखंड की राज्य सरकार से है। (ड) 'राज्यपाल' से तात्पर्यउत्तराखंड के राज्यपाल से है। (ज) 'सेवा' से तात्पर्यउत्तराखंड सहायक लेखाधिकारी सेवा से है।		3 परिभाषाएंः (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, विभागीय लेखा उत्तराखण्ड देहरादून से है। (घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है। (ड) 'राज्यपाल' से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है। (ज) 'सेवा' से तात्पर्य उत्तराखण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा से है।
(नियम -5 में संशोधन)		मूल नियमावली में नीचे ऐसे स्थायी विभागीय लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ वरिष्ठ सम्परीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम

	दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
स्तम्भ-एक वर्तमान नियम	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ- एक में दिये गये वर्तमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ -दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्
<p>5. भर्ती का स्रोत:</p> <p>(एक) 90 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त नियमावली परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित ऐसे विभागीय, लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/वरिष्ठ सम्परीक्षक में से, जिन्होंने ीर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं मौलिक नियुक्ति के पद पर स्थाई हों, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(दो) 05 प्रतिशत निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह ट इन्टरनल ऑडिटर में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार सह रिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग निदेशालय लेखाकार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की गई सेवा लिपिक पद पर पूर्ण कर ली हो, अथवा लेखाकार सह रिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग पद पर स्थाई हो, पदोन्नति द्वारा।</p> <p>(तीन) 05 प्रतिशत निदेशक, लेखा एवं हकदारी में मौलिक रूप से नियुक्त लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग (निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम पाँच वर्ष की स्थाई सेवा लिपिक पद पर पूर्ण कर ली हो अथवा लेखाकार सह वरिष्ठ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/वरिष्ठ सम्प्रेक्षक सह-डाटा प्रोसेसिंग के पद पर स्थाई हो, पदोन्नति द्वारा।</p>	<p>भर्ती का स्रोत</p> <p>मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी विभागीय लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ वरिष्ठ सम्परीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।</p>

<p>परन्तु यदि किसी किसी पोषक संवर्ग में पर्याप्त संख्या में युक्त या पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो पदों को, इस नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट शेष पोषक वर्गों से भरा जा सकता है।</p>	
<p>(नियम-8 में संशोधन)</p>	<p>मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ- एक में दिये गये वर्तमान नियम-8 के उप नियम-1 के स्थान पर स्तम्भ -दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</p>
<p>स्तंभ -एक वर्तमान नियम</p>	<p>स्तम्भ- दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</p>
<p>पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। इसके लिए चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-</p>	<p>पदोन्नति द्वारा भर्ती निम्नवत् सरंचित चयन समिति द्वारा की जायेगी, अर्थात्:- (5) संवर्ग में सहायक लेखाधिकारियों के ऐसे पद होंगे</p>

जैसे यथा संशोधित परिशिष्ट
“क” में दिये गये हैं।

परिशिष्ट- 'क'

उत्तराण्ड सहायक लेखाधिकारी सेवा के संवर्ग में सहायक लेखाधिकारियों वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन4800) के पदों की सूची। (नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त समय समय पर सृजित पद इस परिशिष्ट का भाग माने जायेंगे)

क्र० सं०	विभाग	स्थाई	अस्थाई	योग
1	2	4	5	6
1	राजकीय मुद्रणालय	01	-	01
2	पशुपालन विभाग	03	-	03
3	शिक्षा	02	02	
4	आयुक्त ग्राम्य विकास	02	-	02
5	खाद्या एवं नागरिक आपूर्ति	04	-	04
6	निबन्धक सहकारी समितियां	02	-	02
7	परिवहन	01	-	01
8	लोक निर्माण विभाग	01	-	01
9	युवा कल्याण	01	-	01
10	पंचायती राज लेखा	09	04	13
11	श्रम आयुक्त	01	-	01
12	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	01	-	01

13	विभागीय लेखा निदेशालय	03	-	03
14	कृषि	03	-	03
15	डेरी विकास	01	-	01
16	खेल निदेशालय	01	-	01
17	पंचायती राज निदेशालय	01	-	01
18	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण		03	03
19	कोषागार पेंशन एवं हकदारी	02	01	03
20	मत्स्य विभाग	01	-	01
21	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		02	02
22	रेशम विभाग	01	-	01
23	पुलिस विभाग(कारागार)	01	-	01
24	वन विभाग	02	-	02
25	संस्कृत निदेशालय	01	-	01
26	स्वास्थ्य आयुर्वेद विभाग	01	-	01
27	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	01	-	01

28	आयुर्वेद कालेज	02	-	02
29	ग्रामीण निर्माण विभाग	01	-	01
30	शहरी विकास निदेशालय	01	-	01
	संवर्गीय पदों का योग	51	12	63
	निःसंवर्गीय/ प्रतिनियुक्ति के पद			
1	सर्व शिक्षा अभियान	15	-	15
2	पर्यटन विकास परिषद्	01	-	01
3	कुमायूं विश्वविद्यालय	02	-	02
4	तकनीकी विश्वविद्यालय	01	-	01
5	संस्कृत शिक्षा परिषद्	01	-	01
6	ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान	01	-	01
7	प्रतिनियुक्ति/निःसंवर्गीय	21	-	21
	कुल पदों का महायोग	72	12	84

आज्ञा से ,

राध रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग-2

Ej CXXX(2) / 2018—30(44)/2017

संक्षिप्त नाम और

1. (1)

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध असंगति की सीमा तक

201s (

संलग्नक :- यथोक्त।

